# कार्यकारी सार

कोयला मंत्रालय को कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के वैज्ञानिक उपयोग, देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वे-ाण हेतु नीतियों को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों(पीएसयू) का कार्य-नि-पादन उत्कृ-ट रहा है और वास्तविक कार्य-नि-पादन हमेशा ही अनुमानित लक्ष्यों की तुलना में अधिक रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संतुलित वृद्धि को देखते हुए कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कपंनियां कई कोयला क्षेत्रों में मौजूद प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने का भरसक प्रयास कर रही है।

वर्-ा 2008-09 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणामी बजट शुरू में आदेश, कार्यों एवं क्रियाकलापों, और कोयला मंत्रालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों एवं सांविधिक निकायों के संगठनात्मक ढांचे का परिचय देता है।

उसके बाद परिणामी बजट कोयला मंत्रालय तथा उसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बजट अनुमानों एवं योजना परिव्यय का ब्यौरा देते हुए कोयला मंत्रालय में प्रचालित योजनागत एवं गैर-योजनागत योजनाओं दोनों के लिए समय-सीमा के साथ सुपुर्दगीयोग्य आपूर्तियों तथा वास्तविक उत्पादनों का भी उल्लेख करता है। नयी कोयला वितरण नीति, नयी ई-नीलामी योजना, कोयले की रायल्टी दर में संशोधन, कोल वेंचर्स इन्टरनेशनल (कोल इंडिया लि. सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का स्पेशल परपज व्हीकल) आदि के संबंध में नयी पहलकदमियों तथा नीतिगत उपायों का भी परिणामी बजट 2008-09 में

उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, परिणामी बजट आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना एवं केप्टिव कोयला ब्लाक आबंटन के माध्यम से कोयला उत्पादन को बढाने के उपायों से संबंधित मुद्दों का भी समाधान करता है।

यह दस्तावेज कोयला मंत्रालय के स्वायत्त निकाय-कोयला खान भवि-य निधि संगठन द्वारा प्रशासित योजनाओं की समीक्षा करने के अलावा कोयला मंत्रालय के अधीन प्रचालित की जा रही योजनाओं सहित पूंजीगत परिव्यय की तुलना में वास्तविक उत्पादन एवं व्यय के हिसाब से सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के पिछले कार्य-नि-पादन की समीक्षा भी प्रस्तुत करता है। परिणामी बजट कोयला मंत्रालय द्वारा बजटीय सहायता से प्रचालित की जा रही छह योजना स्कीमों के बारे में विस्तृत सूचना देता है तथा स्कीमों की क्षमता का भी उल्लेख करता है।

पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने और कुल मिलाकर जनता एवं कोयला उपभोक्ताओं की सुगम पहुंच को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) सभी महत्वपूर्ण परिपत्रों एवं नीतियों को कोयला मंत्रालय के वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया है। इसमें विद्युत, सीमेंट तथा इस्पात क्षेत्रों में विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं के लिए अनुमोदित सभी दीर्घावधि कोयला लिंकेजों की स्थिति और केप्टिव खपत के लिए अनुमोदित अन्त्य उपयोगकर्त्ताओं को आबंटित/आबंटित किए जाने वाले कोयला ब्लाकों के ब्यौरे शामिल हैं।

(ii) कोयला मंत्रालय के बजट अनुमान और अनुदानों की विस्तृत मांगे भी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(iii) मंत्रालय के क्रियाकलापों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के इच्छुक लोगों की सहायता के लिए मंत्रालय में एक सुविधा केन्द्र प्रचालन में है।

(iv) इसके अलावा, सूचना के प्रचार-प्रसार को सुकर बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के भी अपने-अपने वेबसाइट हैं।

(v) सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोयला मंत्रालय के क्रियाकलापों के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु जनता की सुगम पहुंच को सुकर बनाने के लिए शीर्ष अपीलीय प्राधिकारी के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में तिमाही प्रगति बैठकों के माध्यम से कोल इंडिया लि. (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) की प्रमुख कोयला परियोजनाओं की निगरानी की जाती है और जहां कहीं कार्यान्वयन में धीमी गति होती है, तो उसके कारणों का विश्लेषण किया जाता है तथा लक्षित समय-सीमा के अनुसार उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उपचारी उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, कोयला राज्य मंत्री इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों तथा कोयला मंत्रालय के क्रियाकलापों की समीक्षा करते हैं कि नीतियों को भलीभांति क्रियान्वित किया जा रहा है और यदि कमियां दिखायी देती हैं तो उन्हें प्रभावी ढंग से हल किया जाता है ताकि समग्र नीतिपरक उद्देश्य सही दिशा में हों।

# आदेश, लक्ष्य तथा उद्देश्य और नीतिगत रूपरेखा

आदेश

1.1 कोयला मंत्रालय भारत में कोयला और लिग्नाइट के भंडारों के विकास तथा दोहन के लिए उत्तरदायी है । इस मंत्रालय को समय-समय पर यथा-संशोधित भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियमावली, 1961 के अधीन सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं : -

- भारत में कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयला और लिग्नाइट भंडारों का अन्वे-ाण एवं विकास ।
- कोयला के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा मूल्य-निर्धारण से संबंधित सभी मामले।
- इस्पात विभाग जिन वाशरियों के लिए उत्तरदायी है उन वाशरियों को छोड़कर अन्य कोयला वाशरियों का विकास और संचालन।
- कोयला का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयला से सिंथेटिक तेल का उत्पादन।
- कोयला खान (संरक्षण और विकास ) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।
- कोयला खान भवि-य निधि संगठन।
- कोयला खान भवि-य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।
- खानों से उत्पादित तथा प्रे-ित कोक एवं कोयला पर उत्पाद शुल्क लगाने तथा उसकी वसूली के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32 ) के अंतर्गत बनाए गए नियम और बचाव को-ा का प्रशासन ।

- कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास ), अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन ।

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम तथा कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई एवं विभिन्न राज्यों से संबद्ध प्रश्नों सहित इस प्रकार के प्रशासन के प्रासंगिक कार्यों से सम्बद्ध है ।

आर्थिक कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप

1.2 यह मंत्रालय तथा इसके उपक्रम मुख्य रूप से कोयला तथा लिग्नाइट की बढ़ती मांग को पूरा किए जाने के लिए इनके उत्पादन की ओर उन्मुख हैं । इसके साथ-साथ, कोयला का परि-करण/धुलाई, लदान तथा प्रे-ाण सुविधाओं जैसी सभी परियोजना आवर्ती गतिविधियों और कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण के उपायों पर आवश्यक तथा उचित समय पर कार्रवाई करना भी अपेक्षित है । साफ्ट कोक का उत्पादन, धुआं-रहित ईंधन के लिए निम्न तापीय कोयला कार्बनीकरण, कोयले का गैसीकरण जैसे अन्य सहायक/मूल्यवर्धन क्रियाकलाप भी शुरू किए गए हैं । नए भण्डारों का अन्वे-ाण तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भी मंत्रालय के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं। इसके अतिरिक्त, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिग्नाइट के भण्डारों के अन्वे-ाण तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत के उत्पादन आदि में कार्यरत है।

1.3 भारत में कोयला, विद्युत का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है । विद्युत का अधिकांश उत्पादन तापीय विद्युत गृहों से होता है, जो फीड स्टॉक के रूप में कोयला पर निर्भर होती हैं। इसके अतिरिक्त, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रसायन, कागज जैसे अन्य उद्योग तथा हजारों मध्यम तथा लघु उद्योग अपने प्रचालनों तथा ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए कोयले पर निर्भर होते हैं। यद्यपि परिवहन क्षेत्र में रेलवे द्वारा स्टीम इंजनों को धीरे-धीरे समाप्त किए जाने के कारण कोयले का प्रत्यक्ष उपभोग नाममात्र है किन्तु रेलवे के विद्युतीकृत क-ार्ण में वृद्धि कोयला से परिवर्तित विद्युत ऊर्जा पर निर्भर है । अतएव, कोयला मंत्रालय देश के कोयला के स्रोतों को इस तरह से विकसित करने में लगा है जिससे विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की कोयला की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी हों और तेल/आयातित कोयले पर उनकी निर्भरता न्यूनतम रहे।

## संगठनात्मक ढांचा

1.4 सचिवालय स्तर पर सचिव इस मंत्रालय के प्रमुख हैं जिनकी सहायता के लिए दो अपर सचिव, दो संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार सहित) एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, सात निदेशक/एक उप सचिव, नौ अवर सचिव, अट्ठारह अनुभाग अधिकारी, एक सहायक निदेशक (रा.भा.) और एक लेखा नियंत्रक, एक उप-लेखा नियंत्रक, दो वरि-ठ लेखा अधिकारी एवं चार सहायक लेखा अधिकारी और उनके सहायक कर्मचारी हैं।

## अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त निकाय

1.5 इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय एवं स्वायत्त निकाय हैं :

(i) कोयला नियंत्रक का कार्यालय (सीसीओ) - एक अधीनस्थ कार्यालय
(ii) कोयला खान भवि-य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) - एक स्वायत्त निकाय

## कोयला नियंत्रक का संगठन

1.6 कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर तथा कोटागुड्डम में स्थित हैं। कोयला नियंत्रक को कतिपय सांविधिक कार्य करने होते हैं।

विभिन्न संविधियों के अंतर्गत कोयला नियंत्रक के कुछ मुख्य कार्य नीचे दिए अनुसार हैं :

(क) कोलियरी नियंत्राण आदेश, 2000 कोलियरी नियंत्रण नियमावली 2004 के अंतर्गत**:**

(i) कोयला के ग्रेडों (अनंतिम, अन्तिम तथा अन्तरिम संशोधन) की घो-णा करने के लिए कोयला के नमूनाकरण एवं विश्ले-ण की क्रियाविधि तथा पद्धति का निर्धारण करना।
(ii) कोयले की गुणवत्ता की जांच करना, जहां कहीं आवश्यक हो उसका सत्यापन करना और ग्रेडों की घो-णा के बारे में विवाद समाधान तंत्र के रूप में कार्य करना।

(iii) कोयला खानों से कोयला स्टाक अथवा कोयले के संभावित उत्पादन की बिक्री की व्यवस्था का विनियमन।

(iv) कोयला/लिग्नाइट खान, सीम अथवा सीम के किसी खण्ड को खोलने की पूर्वानुमानित प्रदान करना।

(ख) कोयला संरक्षण तथा विकास अधिनियम, 1957 और उसके अधीन बनी नियमावली के अंतर्गत :

सदस्य सचिव होने के नाते कोयला नियंत्रक कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति के सचिवालय का समस्त कार्य करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) दो मुख्य शी-र्ों - " कोयला खनन में कोयला संरक्षण सहित सुरक्षा (अनुसंधान और विकास, रेत भराई एवं बचाव कार्यों) पहलुओं " एवं " कोलफील्ड क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास (सड़क/रेल) क्रियाकलापों " के अंतर्गत आंशिक सहायता हेतु विभिन्न कोयला कंपनियों के विभिन्न दावों और प्रस्तावों की बहुस्तरीय जांच।

(ii) कोयला कम्पनियों से उपभोक्ताओं को किए गए कच्चे कोयले के प्रे-ाण पर लगाए गए उत्पाद-शुल्क का संग्रहण तथा मूल्यांकन करना।

(ग) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 1953 के अंतर्गत :

देश में कोयला तथा लिग्नाइट से संबंधित सांख्यिकीय सूचना के एकत्रीकरण एवं प्रकाशन के लिए सांख्यिकीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

(घ) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत :

कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण से संबंधित आपत्तियों के निपटान के लिए सुनवाई प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

(i) उपर्युक्त सांविधिक कार्यों के अलावा, कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय द्वारा सौंपे गए केप्टिव कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों की प्रगति की निगरानी के कार्य तथा संबंधित अन्त्य उपयोग परियोजनाओं की प्रगति एवं कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों के विकास में त्रुटियों/कमियों के लिए बैंक गारंटी को जब्त करने से संबंधित कार्य के उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है।

(ii) कोयला नियंत्रक पूर्ववर्ती कोयला बोर्ड के शे-ा कार्य तथा कोयला मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य विविध कार्यों को निपटाने के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करता है।

(iii) भुगतान आयुक्त, कोलकाता के कार्यालय को 6.6.07 से बंद कर दिया गया है और इसका शे-ा कार्य मौजूदा जनशक्ति के साथ कोयला नियंत्रक संगठन को अंतरित कर दिया गया है। इस समय कोयला नियंत्रक भुगतान आयुक्त के रूप में भी कार्य कर रहा है।

कोयला खान भवि-य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

1.7 कोयला खान भवि-य निधि संगठन, कोयला खान भवि-य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। सीएमपीएफओ कोयला खान भवि-य निधि योजना, 1948, कोयला खान जमा-सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 तथा कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को प्रशासित करता है। ये सभी योजनाएं 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार की गई हैं ।

कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला कम्पनियां

1.8 मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोल इंडिया लि. (धारक कम्पनी) और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. हैं।

1.9 कोल इंडिया लि0, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, जो सात उत्पादक सहायक कंपनियों तथा एक आयोजन तथा डिजाइन अनु-ांगी कंपनी की धारक कंपनी है, अर्थात :-

1) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 (ई.सी.एल), संकतोड़िया (प.बंगाल)
2) भारत कोकिंग कोल लि0 (बीसीसीएल), धनबाद (झारखंड)
3) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0 (सीसीएल), रांची (झारखंड)
4) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0 (एनसीएल), सिंगरौली (मध्य प्रदेश)
5) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0(डब्ल्यूसीएल), नागपुर (महारा-ट्र)
6) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0(एसईसीएल), बिलासपुर (छत्तीसगढ़ )
7) महानदी कोलफील्ड्स लि0 (एमसीएल), संबलपुर (उड़ीसा )
8) सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0(सी.एम.पी.डी.आई.एल.), रांची (झारखंड) ।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 (एनएलसी)

1.10 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0, जिसका मुख्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में स्थित है, मुख्यतः तमिलनाडु में लिग्नाइट भंडारों के दोहन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन में लगी हुई है ।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि0 (एससीसीएल)

1.11 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि0 1920 में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित की गई थी जो 1956 में एक सरकारी कंपनी बनी और इसका मुख्यालय कोठागुडम, आंध्र प्रदेश में है । यह कंपनी आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है । इस कंपनी की शेयर पूंजी आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के पास क्रमशः 51:49 के अनुपात में है । यह कंपनी आंध्र प्रदेश राज्य में कोयले के भंडारों के दोहन का कार्य करती है।

## अध्याय-2

## वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक उत्पादन एवं बजटीय परिणाम

2.1 यह अध्याय कोयला मंत्रालय के गैर-योजनागत और योजनागत बजट से संबंधित है। बजट अनुमान नीचे दिए गए हैं :

बजट अनुमान के ब्यौरे

(करोड़ रू. में)

| | **2007-08 (बजट)** | | | **2007-08 (संशोधित)** | | | **2008-09 (बजट)** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | जोड़ | योजना | गैर- | जोड़ | योजना | गैर- | जोड़ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | योजना | | | योजना | |
| | कुल | 250.00 | 38.00 | 288.00 | 377.00 | 45.00 | 422.00 | 300.00 | 45.50 | 345.50 |
| 1 | सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 3.00 | 8.44 | 11.44 | 1.00 | 8.54 | 9.54 | 3.00 | 8.49 | 11.49 |
| 2 | श्रम और रोजगार<br>कोयला खान श्रमिक कल्याण<br>कोयला खान पेंशन योजना /जमा संबद्ध बीमा योजना को अंशदान | 0.00 | 26.15 | 26.15 | 0.00 | 33.34 | 33.34 | 0.00 | 33.52 | 33.52 |
| 3 | कोयला और लिग्नाइट<br>कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| 4 | कोयला खान क्षेत्रों में यातायात आधारभूत संरचना का विकास (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 21.80 | 0.00 | 21.80 |
| 5 | अनुसंधान और विकास कार्यक्रम | 22.54 | 0.00 | 22.54 | 12.86 | 0.00 | 12.86 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 6 | क्षेत्रीय अन्वे-ाण | 63.59 | 0.00 | 63.59 | 64.15 | 0.00 | 64.15 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 7 | विस्तृत ड्रिलिंग | 104.50 | 0.00 | 104.50 | 43.84 | 0.00 | 43.84 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 8 | पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण | 31.12 | 0.00 | 31.12 | 28.22 | 0.00 | 28.22 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 9 | कोयला नियंत्रक | 0.23 | 3.06 | 3.29 | 0.23 | 3.03 | 3.26 | 0.20 | 3.49 | 3.69 |
| 10 | भुगतान आयुक्त | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | जोड़-कोयला और लिग्नाइट | **222.00** | **3.41** | **225.41** | **359.30** | **3.12** | **362.42** | **267.00** | **3.49** | **270.49** |
| 11 | कोयलाधारी क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरा किया गया व्यय<br>अधिग्रहण निधि<br>11.01 कोयलाधारी क्षेत्रों का अधिग्रहण | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 11.02 कोयलाधारी क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरे किये गये व्यय को घटाकर | 0.00 | - 30.00 | - 30.00 | 0.00 | - 30.00 | - 30.00 | 0.00 | - 30.00 | - 30.00 |
| 12 | पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए एकमुश्त प्रावधान | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 16.70 | 0.00 | 16.70 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| | सकल जोड़ | **250.00** | **38.00** | **288.00** | **377.00** | **45.00** | **422.00** | **300.00** | **45.50** | **345.50** |

| | | बजटीय सहायता | आईईबीआर | जोड़ | बजटीय सहायता | आईईबीआर | जोड़ | बजटीय सहायता | आईईबीआर | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी उद्यमों में निवेश | | | | | | | | | |
| 13 | कोल इंडिया लिमिटेड | 0.00 | 2472.14 | 2472.14 | 0.00 | 2066.97 | 2066.97 | 0.00 | 3214.70 | 3214.70 |
| 14 | सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि. | 0.00 | 570.58 | 570.58 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 665.30 | 665.30 |
| 15 | नेयवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड (खान) | 0.00 | 795.83 | 795.83 | 0.00 | 696.72 | 696.72 | 0.00 | 772.00 | 772.00 |
| | नेयवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड (विद्युत) | 0.00 | 1211.14 | 1211.14 | 0.00 | 1233.28 | 1233.28 | 0.00 | 1945.00 | 1945.00 |
| | नेयवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड (जोड़) | 0.00 | 2006.97 | 2006.97 | 0.00 | 1930.00 | 1930.00 | 0.00 | 2717.00 | 2717.00 |
| | जोड़ | 0.00 | 5049.69 | 5049.69 | 0.00 | 4516.97 | 4516.97 | 0.00 | 6597.00 | 6597.00 |
| | योजना परिव्यय | | | | | | | | | |
| 16 | विद्युत | 0.00 | 1211.14 | 1211.14 | 0.00 | 1233.28 | 1233.28 | 0.00. | 1945.00 | 1945.00 |
| 17 | कोयला और लिग्नाइट | 0.00 | 3838.55 | 3838.55 | 0.00 | 3283.69 | 3643.99 | 0..00 | 4652.00 | 4652.00 |
| | कुल - योजना परिव्यय (कोयला मंत्रालय) | **250.00** | **5049.69** | **5299.69** | **377.00** | **4516.97** | **4893.97** | **300.00** | **6597.00** | **6897.00** |

गैर-योजना बजट

2.2 45.50 करोड़ रू. के गैर-योजना बजट (2008-09) में मुख्य बजट रूप से सचिवालय (आर्थिक सेवाएं) कोयला नियंत्रक संगठन, भुगतान आयुक्त, कोयला खान भवि-य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के तहत तैयार कोयला खान पेंशन योजना, 1998 और कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 के तहत सांविधिक रूप से अपेक्षित सरकारी अंशदान का भुगतान शामिल है। इसके अतिरिक्त, कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण के वास्ते मुआवजे के भुगतान हेतु 30.00 करोड़ रू. की राशि रखी गई है। यह राशि सहायक कम्पनी द्वारा भू-वंचितों को रिलीज करने के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा सरकार के पास अग्रिम में जमा करने के बाद इसे कोल इंडिया लि. को वापस कर दिया जाता है। इसमें कोई नकदी निकासी नहीं होती है। गैर-योजना बजट को आपूर्ति उत्पादन से नहीं जोड़ा जा सकता है। गैर-योजना प्रावधानों के ब्यौरे निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध-**II** (क) में दिए गए हैं।

कोयला मंत्रालय

परिणामी बजट 2008-09 (गैर-योजना )

अनुबंध- II (क)

| क्र. सं. | योजना/ कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/परिणाम | परिव्यय 2008-09 | मात्रात्मक आपूर्ति/ वास्तविक उत्पादन | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया समय सीमा | टिप्पणी/ जोखिम कारक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | कोयला खान पेन्शन योजना(सीएमपएस) और कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना(सीएमडीएलआईएस) | सांविधिक अंशदान :<br><br>क) सीएमडीएलआई योजना के तहत सरकारी अंशदान 1.50 करोड़ रू. है।<br><br>ख) सीएमडीएलआई योजना के प्रशासनिक शुल्क की प्रतिपूर्ति 0.32 करोड़ रू. है।<br><br>ग) सीएमपी योजना के तहत सरकारी अंशदान 21.50 करोड़ रू. है।<br><br>ध) सीएमपी योजना के लिए प्रशासनिक शुल्क की प्रतिपूर्ति 10.20 करोड़ रू. है। | 33.52 करोड़ रू. | यह राशि दो योजनाओं के तहत सरकार की ओर से सांविधिक दायित्व का भाग है जो कारपस का अंग हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार को दोनों योजनाओं के प्रशासनिक व्यय के भाग को भी पूरा करना अपेक्षित है। | कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ | सेवानिवृत्ति/ सेवा से बाहर निकलने पर लाभ देय होगें। | |
| 2. | सचिवालय आर्थिक सेवा | वेतन और भत्ते का भुगतान<br>कार्यालय संबंधी व्यय<br>चिकित्सा उपचार पर व्यय<br>यात्रा पर व्यय<br>प्रकाशन पर व्यय | 8.49 करोड़ रू. | प्रशासनिक स्वरूप के व्यय होने के कारण मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है। | | | वेतन आयोग की रिपोर्ट से वेतन बजट में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | कोयला नियंत्रक संगठन | वेतन और भत्ते का भुगतान<br>कार्यालय व्यय<br>चिकित्सा उपचार पर व्यय<br>यात्रा पर व्यय<br>प्रकाशन पर व्यय | 3.49 करोड़ रू. | मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है। | कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000, सांख्यिकी अधिनियम, 1953, कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974, कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 जैसे विभिन्न कानूनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्यकलापों को निपटाना और कैप्टिव कोयला खानों की प्रगति की मानीटरिंग। | चालू प्रशासनिक व्यय | |
| 4. | कोयलाधारी क्षेत्रों का अधिग्रहण | भू-वंचितों को मुआवजे का भुगतान | 30.00 करोड़ रू. | कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिगृहीत भूमि से कोयला निकाला जाता है जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। | यह सांविधिक आवश्यकता है। | 2008-09 | सीआईएल द्वारा सरकार के पास इसे अग्रिम में जमा करने के बाद भुगतान किया जाता है। |

## योजना बजट

2.3 वर्न 2007-08 तथा 2008-09 के लिए योजना परिव्यय के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :-

(करोड़ रू. में )

| कंपनी/योजनाएं | **2007-08** | **2007-08 (सं.अ.)** | **2008-09 (ब.अ.)** |
|---|---|---|---|
| सी.आई.एल. | 2472.14.14 | 2066.97 | 3214.70 |
| एससीसीएल | 570.58 | 520.00 | 665.30 |
| एनएलसी(कोयला) | 795.83 | 696.72 | 772.00 |
| एनएलसी(विद्युत) | 1211.14 | 1233.28 | 1945.00 |
| एनएलसी (कुल ) | 2006.97 | 1930.00 | 2717.00 |
| जोड़ | 5049.69 | 4516.97 | 6597.00 |
| क्षेत्रीय अन्वे-ाण | 63.59 | 64.15 | 30.00 |
| पर्यावरणीय उपाय एवं धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी) | 31.12 | 28.22 | 10.00 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
| अनुसंधान एवं विकास (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ) | 22.54 | 12.86 | 10.00 |
| विस्तृत ड्रिलिंग | 104.50 | 43.84 | 60.00 |
| कोयला नियंत्रक | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एकमुश्त प्रावधान | 25.00 | 16.70 | 30.00 |
| कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा | 0.01 | 165.00 | 135.00 |
| कोयला फील्डों में परिवहन अवसंरचना का विकास | 0.01 | 45.00 | 21.80 |
| कुल | **250.00** | **377.00** | **300.00** |
| सकल जोड़ | **5299.69** | **4893.97** | **6897.00** |

2.4 योजना परिव्यय 2008-09 में,(i) क्षेत्रीय अन्वे-ाण (30.00 करोड़ रू.), ईएमएससी (10.00 करोड़ रू.),अनुसंधान और विकास (एस. एण्ड टी.) (10.00 करोड़ रू.) और विस्तृत ड्रिलिंग (60.00 करोड़ रू.) कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा (135.00 करोड़ रू.) और कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास (21.80 करोड़ रू.) के लिए प्रावधान किया गया है । सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 3.00 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है । विशे-ा रूप से डिजिटल इमेजिंग साल्यूशन्स की जरूरत पूरी करने के लिए आई.टी. के अधिक उपकरण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि अधिकाधिक कार्य आई.टी. के माध्यम से हो ।अधिक आनलाईन कार्यात्मक वातावरण तैयार करने के लिए मंत्रालय की आई.टी. अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए भी बजट प्रावधान का उपयोग

किया जाएगा। 30.00 करोड़ रू. की राशि, जो योजना परिव्यय का 10% है, को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता के रूप में रखा गया है।

योजना प्रावधानों के ब्यौरे और उनके नि-कर्-ा निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध-**II** (ख) में दिए गए हैं।

कोयला मंत्रालय

परिणामी बजट 2008-09 (योजना)

अनुबंध- **II** (ख)

| (करोड़ रू. में) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य/ परिणाम | परिव्यय 2008-09 | मात्रात्मक आपूर्ति योग्य/ वास्तविक परिणाम | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया समय सीमा | टिप्पणी/जोखिम कारक |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) कार्यक्रम | प्रौद्योगिकी/पद्धति का विकास और वाणिज्यिक प्रयोग हेतु इसका सफल अंतरण | 10.00 (योजना) | 31.12.07 की स्थिति के अनुसार 42 चालू विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाएं हैं जिनमें से 10 परियोजनाओं के 2008-09 के दौरान पूर्ण होने की संभावना है। | प्रमुख संभावित नि-कर्-ा :<br><br>(i) भूमिगत खानों के लिए ठोस रूफ प्रबंध<br>(ii) लांगवाल सपोर्टों का स्वदेशी विकास<br>(iii) लिग्नाइट से उत्प्रेरित कार्बन के उत्पादन हेतु प्रक्रिया<br>(iv) भारतीय कोयले से मूल्य वृद्धिक रसायन<br>(v) भूमिगत खानों के लिए रोबोटिक का | विज्ञान तथा प्रौद्यागिकी परियोजनाएं कोयला उद्योग को आर. एण्ड डी. सपोर्ट देती हैं और ये परियोजनाएं आमतौर पर 2 से 4 व-र् की अवधि की होती है। | चूंकि परियोजनाओं में अनुसंधान कार्य शामिल होता है इसलिए उनके परिणामों का आकलन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद ही किया जा सकता है। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अनुप्रयोग<br>(vi) भूमिगत खानों में सीएच$_4$ का पता लगाने के लिए नैनो ट्यूब/नैनो फाइबर सेंसर<br>(vii) कोल बेड मीथेन (सीबीएम) रिकवरी और उपयोग<br>(viii) फ्लाई ऐश का उपयोग करने वाले राजमार्ग | | |
| 2 | कोयला तथा लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वे-ाण | रा-ट्रीय सूची में शामिल करने हेतु कोयला तथा लिग्नाइट के अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय ड्रिलिंग करना। वेब योग्य कोयला तथा लिग्नाइट सूचना प्रणाली तैयार करना और सीबीएम संसाधनों का मूल्यांकन करना। | 30.00 | (i) 1.50 लाख मीटर ड्रिलिंग (कोयला = 0.79, लिग्नाइट= 0.71)<br>(ii) अन्वे-ित सभी ब्लाकों का कोयला संसाधन सूचना पद्धति का सृजन।<br>(iii) अन्वे-ित सभी ब्लाकों का लिग्नाइट संसाधन सूचना पद्धति का | (i) ड्रिलिंग (वार्-िक लक्ष्य)<br>(ii) जीआर तैयार करना<br>(iii) संसाधन सूचना पद्धति के विकास के लिए पुराने जीआर/ माडलों का कम्प्यूटरीकरण<br>(iv) सीबीएम गैस-वाले संसाधन का मूल्यांकन करने के लिए सीबीएम से | (i) व-र् के दौरान 1.50 लाख मीटर ड्रिलिंग वितरित की गई। ब्लाक में ड्रिलिंग तथा गुणात्मक विश्ले-ाण के पूरा हो जाने के बाद जीआर तैयार किए जाते हैं।<br>(ii) माडल तैयार करने के लिए कम्प्यूटर मीडिया में पुराने जीआर के | (i) योजना को 11वीं योजना में जारी रखने के लिए व्यय वित्त मसिति (ईएफसी) द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।<br>(ii) डाटाबेस परियोजना एवं डाटा उपलब्धता में साफ्टवेयर/हार्डवेयर की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया।<br>(iii) सीएमपीडीआई में सीबीएम गैस संघटन तथा विवरण का अध्ययन आरंभ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सृजन। (iv) 10 बोरहोलों का सीबीएम अध्ययन | संबंधित डाटा तैयार करना<br><br>कोयला मंत्रालय की तिमाही समीक्षाओं के दौरान कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जाती है। | डाटा रखना। (iii) प्रयोगशाला में सीबीएम तत्व का निर्धारण करने हेतु बीएच कोयला कोर नमूनों का एकत्रीकरण। | किया गया। आमेलन अध्ययन उपकरण की प्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है। |
| 3 | गैर-सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वे-ाण | क्षेत्रीय अन्वे-ाण के दौरान पता लगाए गए निर्दि-ट/ अनुमानित संसाधनों को सिद्ध करने हेतु डाटा सृजित करने हेतु विस्तृत ड्रिलिंग करना और भू-गर्भीय रिपोर्टों को तैयार करने में उसका उपयोग करना ताकि व्यवहार्यता अध्ययन और परियोजना रिपोर्टें तैयार हो सकें। | 60.00 | गैर-सीआईएल ब्लाकों में 2.49 लाख मीटर ड्रिलिंग (विभागीय 0.49 लाख मी. तथा आउटसोर्सिंग 2.0 लाख मी.) | (i) ड्रिलिंग (वार्-िाक लक्ष्य)<br>(ii) जीआर तैयार करना<br><br>कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी कोयला मंत्रालय की तिमाही समीक्षाओं के दौरान की जाती हैं। | वर्-ा के दौरान 2.49 लाख मीटर ड्रिलिंग को वितरित किया गया। ब्लाक में ड्रिलिंग तथा कोटिपरक विश्ले-ाण के पूर्ण हो जाने के बाद जीआर तैयार किए जाते हैं। | (i) योजना को 11वीं योजना में जारी रखने के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा अभी अनुमोदन दिया जाना है।<br>(ii) ड्रिलिंग की आउटसोर्स की गयी मात्रा निविदा प्रक्रिया के पश्चात पार्टियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। |
| 4 | पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण | (i) आग तथा धंसाव से निपटना एवं बीसीसीएल में बेकार भूमि का पुनरूद्धार | 10.00 | (i) आग तथा धंसाव से निपटने की तीन योजनाएं और बीसीसीएल में बेकार भूमि के | रानीगंज कोलफील्डों में पुराने, परित्यक्त जलमग्न खदानों में धंसाव का नियंत्रण, झरिया कोलफील्ड में | (क) कालम के 5 के अंतर्गत मद (i) में आग तथा धंसाव की एक योजना के पूर्ण | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पुनरूद्धार से संबंधित एक योजना | आग तथा धंसाव नियंत्रण। रानीगंज, झरिया, बोकारो, करनपुरा आदि जैसे कोलफील्डों में खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार। बीसीसीएल के अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को स्थानान्तरित करने हेतु 4600 मकानों का निर्माण। | होने की समय-सीमा जून, 2006 थी। आग तथा धंसाव की शे-ा दो योजनाओं के 2007-08 में पूर्ण हो जाने की संभावना है। कालम 5 के अंतर्गत मद (i) मे पुनरूद्धार की एक योजना के 2008-09 में पूर्ण हो जाने की संभावना है। | |
| | | (ii) ईसीएल में गांवों के नीचे जलमग्न अगम्य गड्डों का स्थिरीकरण | | (ii) ईसीएल में जलमग्न अगम्य गड्डों के स्थिरीकरण की नौ योजनाएं | | (ख) कालम 5 के अंतर्गत मद (ii) की तीन योजनाएं 2008-09 में, तथा शे-ा 6 योजनाएं 2009-10 में पूर्ण होने की संभावना है। | |
| | | (iii) बीसीसीएल के अत्यधिक क्षेत्रों से लोगों को | | (iii) बीसीसीएल में लोगों को | | (ग) कालम 5 के अंतर्गत मद (iii) | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थानान्तरित करना और ईसीएल के अस्थिर स्थानों का पुनर्स्थापन। | | स्थानान्तरित करने की एक योजना और ईसीएल में चार अस्थिर स्थानों के पुनर्स्थापन की एक योजना। | | में बीसीसीएल में योजना के पूर्ण होने की समय-सीमा मार्च, 2009 है। ईसीएल में योजना 2007-08 में पूर्ण होने की संभावना है। | |
| | | (iv) बीसीसीएल में रेलवे लाइन तथा जोहड़ों के संरक्षण के लिए आग से निपटने और धंसाव का नियंत्रण | | (iv) बीसीसीएल में आग से निपटने की तीन योजनाएं | | (घ) कालम 5 के अंतर्गत मद (iv) की एक योजना 2008-09 में, एक योजना 2009-10 तथा तीसरी योजना 2010-11 में पूर्ण हो जाने की आशा है। | |
| 5. | कोयला नियंत्रक | कोलियरी नियंत्रण आदेश 2000/कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004 आदि जैसे विभिन्न विधानों से लिए गए विविध सांविधिक कार्यों का निपटारा करना और कोयले के आंकड़े एकत्रित करना। | 0.20 | सतत प्रक्रिया | वार्निक आधार पर भारत की कोयला निर्देशिका के प्रकाशन के लिए आंकड़ा संग्रहण और विश्ले-ाण, वार्निक तथा मासिक कोयला आंकड़ों के आधार पर | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अनंतिम कोयला आंकड़े। | | |
| 6. | सचिवालय आर्थिक सेवाएं | कार्यालय में आईटी सुविधा की व्यवस्था करना। | 3.00 | सतत प्रक्रिया | डिजीटल इमेजिंग सोलूशनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशे-ा तौर पर और अधिक आईटी उपकरण प्रदान करना। | अधिकाधिक आनलाइन कार्य के वातावरण का निर्माण करने के लिए यह मंत्रालय की आईटी अवसंरचना को सुदृढ़ करेगा। | |
| 7. | पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान | | 30.00 | मात्रा निर्धारित नहीं | ड्रिलिंग | पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कोयला अन्वे-ाण | |
| 8. | सार्वजनिक उद्यम में निवेश | सीआईएल-उत्पादन 405.00 मिलियन टन(मि.ट.)<br>एससीसीएल-उत्पादन 41.50 मि.ट.<br>एनएलसी-लिग्नाइट उत्पादन 21.14 मि.ट.<br>विद्युत-16299 मिलियन यूनिट (एमयू) | आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर) -<br>सीआईएल= 3214.70<br>एससी सीएल = 665.30<br><br>एनएलसी | परियोजनाओं का कार्यान्वयन। कोयला, लिग्नाइट का उत्पादन, ओवर बर्डन रिमूवल और विद्युत उत्पादन | कोयला उत्पादन 422.55 मि.ट., लिग्नाइट उत्पादन 21.14 मि.ट. और विद्युत उत्पादन 16299 एमयू प्रक्षेपित किया गया है। | क. पूर्ण और चालू परियोजनाएं<br>(i) लिग्नाइट उत्पादन<br>(ii) विद्युत उत्पादन<br>(iii) कोयला उत्पादन<br>(iv) ओवर बर्डेन रिमूवल<br>(v) प्रे-ाण | औद्योगिक संबंध, कानून और व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, वानिकी और पर्यावरणीय मंजूरी, खाली कराने (रेलवे) की पद्धति, आकस्मिक भूगर्भीय हलचल, खान दुर्घटनाएं और आपदाएं तथा उपकरणों की खरीद में विलम्ब। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | =2717.00 | | | ख. नयी परियोजनाएं स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट (पीआर) के अनुसार कार्यान्वयन तिमाही कार्यनि-पादन समीक्षा(क्यूपीआर) के दौरान वार्निक उत्पादन लक्ष्यों को तिमाही आधार पर मानीटर किया गया है और 100 करोड़ रू. से अधिक लागत की परियोजनाएं तिमाही आधार पर मानीटरिंग की जा रही है । | |
| 9. | कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा | रेत भराई/सुरक्षात्मक कार्य की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति | 135.00 | मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती। | रेत भराई से अधिक कोयला उत्पादन सुनिश्चित होता है। | रेत भराई से अधिक कोयला उत्पादन सुनिश्चित होता है और धंसाव | इसका उद्देश्य कोयला संसाधनों का संरक्षण करना है। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | नियंत्रित होता है। | |
| 10. | कोलफील्डों में परिवहन अवसंरचना का विकास | परिवहन अवसंरचना के विकास की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति | 21.80 | मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती। | कोयला/रेत परिवहन की सुविधा दी गई। | कोयला/रेत परिवहन की सुविधा दी गई। | इसका उद्देश्य कोयला निकासी के लिए कोलफील्ड में मूल अवसंरचना का निर्माण करना है। |

-------------

# अध्याय - 3

## सुधार के उपाय तथा नीतिगत पहल

3.1 नीतिगत पहलें

(क) नई कोयला वितरण नीति, 2007

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 1.12.2006 के निर्देशों के अनुसरण में, नई कोयला वितरण नीति को अंतिम रूप देने के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, नयी कोयला वितरण

नीति (एनसीडीपी) को 18.10.2007 को अधिसूचित किया गया। इस नीति की मुख्य विशे-ताओं का उल्लेख निम्नानुसार किया गया है :

क) रक्षा क्षेत्र तथा रेलवे की आवश्यकताओं को वर्तमान स्थिति के अनुसार अधिसूचित मूल्य पर पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा ।

ख) स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी)/कैप्टिव विद्युत संयंत्रों (सीपीपी) तथा उर्वरक क्षेत्र के उपभोक्ताओं सहित विद्युत उपयोगिताओं की नियामक आवश्यकता के अनुसार सीआईएल द्वारा घो-ित/अधिसूचित किए जाने वाले निर्धारित मूल्यों पर कोल इंडिया लि.(सीआईएल) द्वारा ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के माध्यम से कोयले की शत-प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति पर विचार किया जाएगा ।

ग) सीआईएल द्वारा निर्धारित तथा घो-ित किए जाने वाले अधिसूचित मूल्यों पर सीआईएल द्वारा एफएसए के माध्यम से अन्य उपभोक्ताओं/वास्तविक उपयोगकर्ताओं की नियामक आवश्यकता के अनुसार मात्रा के 75% पर कोयले की आपूर्ति के लिए विचार किया जाएगा । यूनिटों की शे-ा 25% आवश्यकता को उनके द्वारा अधिमानता के अनुसार ई-नीलामी/कोयले के आयात आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा । तत्कालीन कोर तथा नान कोर क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों तथा एफएसए न रखने वालों को कोयला कंपनियों के साथ एफएसए सम्पन्न करने की आवश्यकता होगी। जहां तक तत्कालीन नान कोर क्षेत्र के लिंक्ड उपभोक्ताओं, जिनकी वार्-िाक आवश्यकता 4200 टन से कम है, का संबंध है, उन्हें अन्य उपभोक्ताओं के लिए लागू संतु-िट स्तर सहित, निबंधन तथा शर्तों के अनुसार या तो कोयला कंपनी के साथ एफएसए करने का विकल्प दिया जाएगा अथवा वे एफएसए की व्यवस्था के बाहर होने का विकल्प चुन सकते हैं और राज्य सरकारों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं ।

(घ) इंटीग्रेटेड इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोयले की आपूर्ति ईंधन आपूर्ति करारों(एफएसए) के आधार पर की जाएगी । कोयले का मूल्य गुणवत्ता के लिए उपयुक्त समायोजन के साथ आयात सादृश्य मूल्य निर्धारण के आधार पर होगा। यह प्रणाली पहले से ही प्रचलन में है ।

(ड.) लघु तथा मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 500 टन प्रति व-र् के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 4200 टन प्रति व-र् कर दिया गया है । ऐसे उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित वृद्धिक स्तर को पूरा करने के लिए इन एजेंसियों को वितरण के लिए निर्दि-ट मात्रा को भी प्रारंभ में 8 मि.टन तक बढ़ाया जाएगा । इस मात्रा को सम्पूर्ण देश के छोटे तथा मध्यम क्षेत्र के उन यूनिटों/उपभोक्ताओं को वितरण के लिए आवंटित किया जाएगा, जिनकी आवश्यकता 4200 टन प्रति व-र् से कम है और कोयला खरीदने अथवा कोयला कंपनियों के साथ कोयले की आपूर्ति के लिए ईंधन आपूर्ति करार(एफएसए) सम्पन्न करने के लिए कोई पहुंच नहीं है । उक्त निर्दि-ट मात्रा को राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिसूचित राज्य सरकार की एजेंसियों, केंद्र सरकार की एजेंसियों अथवा ट्रेड एसोसिएशनों के माध्यम से वितरित किया जाएगा ।

(च) लिंकेज प्रणाली को प्रवर्तनीय ईंधन आपूर्ति करार(एफएसए) की और अधिक पारदर्शी द्विपक्षीय वाणिज्यिक व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाएगा। सभी मौजूदा मान्य लिंक्ड उपभोक्ताओं को जिनकी लिंकेज/एमपीक्यू व-र् 2006-07 के दौरान 4200 टन या उससे अधिक थी, सीआईएल द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से छः महीने से पहले कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार(एफएसए) करना होगा। अन्य मान्य लिंक्ड उपभोक्ताओं के पास एफएसए से बाहर होने का विकल्प चुनने अथवा 6 महीने के भीतर एफएसए करने का विकल्प होगा। इस नीति के लागू होने की तारीख से विद्यमान सभी मौजूदा एफएसए जारी रहेंगे। तथापि, उन्हें नए प्रावधानों के मद्देनजर संशोधित करने की आवश्यकता होगी।

(छ) नई नीति के अनुसरण में अब नए उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले आश्वासन पत्र (एलओए) पूर्व में 30 महीनों के बजाए विद्युत उपयोगिताओं, सीपीपी तथा आईपीपी के उपभोक्ताओं/आवेदकों के लिए 24 महीने तथा अन्य उपभोक्ताओं के लिए 12 महीने मान्य रहेंगे। आश्वासन पत्र के आबंटी को कतिपय निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा तथा इस अवधि के भीतर लक्ष्यों को पूरा करना होगा और उसके बाद एफएसए करने के लिए कोयला कम्पनियों से सम्पर्क करना होगा।

3.2 (ख) इलेक्ट्रानिक नीलामी

उन उपभोक्ताओं को एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से कोयला तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से ई-नीलामी के द्वारा कोयला वितरण लागू किया गया जो कोयले की आवश्यकता की समयानुकूलता, कोयले की सीमित आवश्यकता जिसमें दीर्घावधि लिंकेज की अपेक्षा नहीं है, जैसे कारणों के लिए अन्य उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से कोयला प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अन्ततोगत्वा, यह संभावना है कि ई-नीलामी से देश में कोयले के स्थल तथा भावी बाजार तैयार करने में सहायता मिल सकती है।

दिनांक 18.10.2007 को इस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नई कोयला वितरण नीति के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन ई-नीलामी की नई योजना लागू की गई है :

(i) कोई भी खरीददार ई-नीलामी के तहत कोयला खरीदने का हकदार होगा।

(ii) ई-नीलामी में कोई " न्यूनतम मूल्य " नहीं होगा। तथापि, कोयला कंपनियों को गुप्त आरक्षित मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी जा सकती है जो अधिसूचित मूल्य से कम नहीं होगा।

(iii) ई-नीलामी कार्यक्रम अग्रिम में घो-ित किया जाना चाहिए और इसका सभी उपभोक्ताओं, जो भाग लेना चाहते हैं, में व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए।

(iv) वित्त व-र् के आरंभ में, सीआईएल विभिन्न कोयला कंपनियों/कोलफील्डों से चारों तिमाहियों के दौरान नीलामी के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले कोयले की मात्रा और गुणवत्ता को दर्शाते हुए ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की बिक्री का कार्यक्रम घो-ित करेगी।

**(v)** ई-नीलामी के अंतर्गत जो औद्योगिक उपभोक्ता लंबी अवधि अर्थात एक व-र् तक सुनिश्चित आपूर्ति चाहते हैं, उनकी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से उनकी वार्-िक उत्पादन योजना तैयार की जाएगी। सीआईएल एक नियत मात्रा निर्धारित करेगी जिसे बोली की अवधि

के दौरान बोलीदाता की आवश्यकता के अनुसार सबसे ऊंची बोली देने वाले बोलीदाता/बोलीदाताओं को प्रदान किया जाएगा।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों तथा प्रक्रियाओं के आधार पर, सीआईएल द्वारा एक महीने के भीतर संशोधित ई-नीलामी योजना लागू की जाएगी। सीआईएल के अनुमानित वार्निक उत्पादन के लगभग 10% की ई-नीलामी के तहत पेशकश की जाएगी तथा कोयला मंत्रालय द्वारा ई-नीलामी के तहत पेशकश की जाने वाली मात्रा की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। सीआईएल और एससीसीएल ने नई कोयला वितरण नीति के अनुसरण में ई-नीलामी पहले ही लागू कर दी है।

3.3 (ग) : कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपाय :

स्वदेशी कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोल इंडिया लि. ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- 266.98 मि.ट. प्रतिवर्न की परिकल्पित क्षमता के साथ 11वीं योजना के दौरान 118 खनन परियोजनाओं को शुरू करने पर विचार किया गया है तथा 11वीं योजना अवधि के अंतिम वर्न (2011-12) तक क्षमता में 127.06 मि.ट. प्रतिवर्न की वृद्धि होगी।
- उपकरण की उपयोगिता में सुधार।
- परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन।
- सभी नई खानों को यंत्रीकृत किया जा रहा है।
- भूमिगत तथा ओपनकास्ट, दोनों खानों में उत्पादकता बढ़ायी जा रही है।
- मौजूदा खानों/परियोजनाओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना बनायी गयी है।

एससीसीएल ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैः-

- 11वीं योजना के दौरान 38 नई खनन परियोजनाओं को शुरू करने का विचार किया गया है।
- जहां व्यवहार्य हो, भूमिगत खानों को ओपनकास्ट खानों में परिवर्तित करना।
- गहरे भंडारों के नि-कर्-ाण के लिए उच्च क्षमता वाले लांगवालों को लागू करना।
- हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) तथा अन्य उपकरणों के क्षमता उपयोग में सुधार लाना।
- ओपनकास्ट खानें उत्पादन के प्रमुख अंश का योगदान करेंगी। भूमिगत यंत्रीकरण को पारंपरिक बोर्ड और पिल्लर खानों में थोड़ी कमी के साथ स्थिरीकृत किया गया है ; नई खानें केवल यंत्रीकरण के साथ खोली जा रही हैं।
- भूमिगत खानों की उत्पादकता में सुधार लाना।

## 3.4 (घ) आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना

कोयले की मांग में वृद्धि को देखते हुए, सीआईएल ने आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना तैयार की है। इस योजना की मुख्य विशे-ताएं नीचे दी गई हैं :-

- 16 ओपनकास्ट परियोजनाओं/खानों (3 सीसीएल में, 6 एनसीएल में, 3 एसईसीएल में तथा 4 एमसीएल में) की पहचान की गयी है जहां वर्तमान खानों/ परियोजनाओं से 71.30 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
- पहचान की गई परियोजनाओं/खानों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त भंडार, खान क्षमता और खान ज्यामिती है।
- वृद्धिक उत्पादन के लिए परिकल्पित निवेश लगभग 3462.27 करोड़ रू. है।

आपातकालीन कोयला उत्पादन योजना (ईसीपीपी) के तहत परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं (दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार)

| क्र. सं. | परियोजना | स्वीकृत क्षमता (मि.ट. प्रतिव-र्ा) | प्रस्तावित वृद्धित क्षमता (मि.ट. प्रतिव-र्ा) | ईसीपीपी के तहत वृद्धिक उत्पादन क्षमता (मि.ट. प्रतिव-र्ा) | क्षमता वृद्धि हेतु संभावित पूंजी (करोड़ रू. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लखनपुर ओपनकास्ट (ओसी) विस्तार (विस्त.), एमसीएल | 10 | 15 | 5 | 71.08 |
| 2 | अशोक ओसी, सीसीएल | 6.5 | 10 | 3.5 | 341.56 |
| 3 | कनिहा ओसी विस्त., एमसीएल | 3.5 | 10 | 6.5 | 457.77 (मौजूदा 96.18 - पूंजी सहित) |
| 4 | भुवनेश्वरी विस्त., एमसीएल | 10 | 20 | 10 | 490.10 (मौजूदा 336.68 - पूंजी सहित) |
| 5 | दीपिका ओसी विस्त., एसईसीएल | 20 | 25 | 5 | 574.95 |
| 6 | गेवरा ओसी विस्त., एसईसीएल | 25 | 35 | 10 | 780.11 |
| 7 | कृ-णशिला ओसी, एनसीएल | 4 | 4 | - | - |
| 8 | अमलोरी ओसी विस्त., एनसीएल | 4 | 5 | 1.0 | |
| 9 | कुसमुण्डा ओसी विस्त., | 10 | 15 | 5 | 396.43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | एसईसीएल | | | | (संशोधन के अधीन) |
| 10 | ब्लाक बी ओसी, एनसीएल | 3.5 | 3.5 | - | - |
| 11 | मगध ओसी विस्त. सीसीएल | 12 | 20 | 8 | 629.87 (कुल ओएस विकल्प) |
| 12 | भरतपुर ओसी विस्त., एमसीएल | 11 | 20 | 9 | 131.39 5 वर्न के लिए कोयला एवं वृद्धिक ओबी-ओएस |
| 13 | खादिया ओसी विस्त. एनसीएल | 4 | 4.8 | 0.8 | - |
| 14 | पिपरवारा ओसी, सीसीएल | 6.5 | 10 | 3.5 | 21.87 |
| 15 | जयंत ओसी, एनसीएल | 10 | 12 | 2.0 | - |
| 16 | दुधीचुआ ओसी, एनसीएल | 10 | 12 | 2.0 | - |

### 3.5 (ङ) कोल विदेश

कोल इंडिया लि. ने विदेश में खनन करने तथा कोयला सम्पत्तियां अर्जित करने के लिए कोल विदेश लि. नामक एक नई सहायक कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था। मंत्रालय में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। निर्णय के आधार पर, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति(सीसीईए) के लिए प्रारूप नोट तैयार किया गया और उस पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचार प्राप्त किए गए। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

तथापि, कोल इंडिया लि. ने विदेशों में कोयला सम्पत्तियों की पहचान करने के लिए अनेक पहलें की हैं ताकि कोयले की उपलब्धता में मांग आपूर्ति के अंतर को कम किया जा सके। कोल इंडिया लि. द्वारा किया गया प्रारंभिक अध्ययन उल्लेखनीय है।

कोल विदेश विभाग के नेतृत्व में एक तथ्य जांच मिशन ने फरवरी, 2007 में आस्टेलिया का दौरा किया तथा सिडनी और ब्रिसबेन में रोड शो किया। सीआईएल ने मार्च, 2007 में टोरंटो, कनाडा में पीडीएसी 2007 प्रदर्शनी में तथा सितम्बर, 2007 में सिडनी में आईमैक्स 2007 एक्सपो में भाग लिया जिसमें कोल विदेश उद्यम की प्रदर्शन लगयी गई। सीआईएल, मुख्यालय में कार्यरत कोल विदेश प्रभाग आस्ट्रेलिया, कनाडा, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, रूस और इंडोनेशिया जैसे देशों में कोयला कंपनियों, निवेशक बैंकरों, सरकारी विभागों के साथ लगातार विचारों का आदान-प्रदान कर रहा है। इन पहलों के परिणामस्वरूप आस्ट्रेलिया, कनाडा, मोजाम्बिक और इंडोनेशिया में अनेक अवसरों की पहचान की गई है जिन्हें स्थल पर समुचित अध्यवसाय के लिए आरंभ किया जाएगा ताकि दीर्घाकालिक निवेश के लिए उनकी संभाव्यता की जांच की जा सके।

## कोल वेंचर इंटरनेशनल (सीवीआई)

सरकार ने कोल इंडिया लि. (सीआईएल)/भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल)/ रा-ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल)/रा-ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) तथा रा-ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एनटीपीसी) के बीच संयुक्त उद्यम के द्वारा विदेश में कोयला सम्पत्तियां अर्जित करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन को अनुमोदित कर दिया है। औपचारिक रूप से पंजीकृत किए जाने वाले एसपीवी का नाम कोल वेंचर इंटरनेशनल (सीवीआई) के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कंपनी के पंजीकरण होने तक गैर-निगमित निकाय ने नई दिल्ली के अपने कार्यालय से कार्य करना आरंभ कर दिया है। कंपनी/पीएसई का स्वरूप एक नवरत्न पीएसयू को अभिशासित करने वाली व्यवस्था और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा। भाग लेने वाले पीएसयू हैं : सीआईएल (1000 करोड़ रू.), सेल (1000 करोड़ रू.), आरआईएनएल (500 करोड़ रू.), एनएमडीसी (500 करोड़ रू.) तथा एनटीपीसी (500 करोड़ रू.)। सीआईएल और अन्य भाग लेने वाले पीएसयू ने एसपीवी के तात्कालिक आरंभिक व्यय को वहन करने के लिए 1.75 करोड़ रू. के प्रारंभिक कारपस के सृजन के लिए योगदान दिया है।

3.6 (च) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए किए गए उपाय

सी.आई.एल. और उसकी सहायक कंपनियों ने सामूहिक रूप से 2006-07 (वास्तविक) में 8522.22 करोड़ रूपए का कर-पूर्व लाभ तथा 2007-08 (अप्रैल, 07 से दिसम्बर, 2007 तक) में 4733.13 करोड़ रूपए का अनंतिम लाभ अर्जित किया है। वास्तव में, सीआईएल की सभी सहायक कम्पनियों ने 2006-07 के दौरान कर-पूर्व लाभ अर्जित किया था।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को प्रस्तुत किया गया था, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने इसके पुनरूद्धार के लिए एक पैकेज की स्वीकृति 2.11.2004 को दी थी । इसे 5.4.2005 को जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) को भेजा गया । बोर्ड ने 29.8.2005 को हुई अपनी 19वीं बैठक में पुनरूद्धार प्रस्ताव पर विचार किया तथा इस शर्त पर ईसीएल के लिए पुनरूद्धार पैकेज की यह सिफारिश की कि ईसीएल 2005-06 से 2009-10 तक वास्तविक एवं वित्तीय आकलनों को प्राप्त करेगी । 13.1.2006 को सम्पन्न सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) की बैठक ने बीआरपीएसई की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया और उसे अनुमोदित कर दिया गया।

भारत कोकिंग कोल लि. को दिसम्बर, 2000 में बीआईएफआर को प्रस्तुत किया गया था । बीसीसीएल की पुनर्स्थापन योजना तैयार की गई और उसे जांच के लिए 17.5.2005 को बीआरपीएसई को भेजा गया । बीआरपीएसई ने 29.8.2005 को अपनी 19वीं बैठक में बीसीसीएल के पुनरूद्धार प्रस्ताव पर विचार किया। बीआरपीएसई ने मंत्रालय/बीसीसीएल को अपने विचारार्थ पुनरूद्धार प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करने की सलाह दी। मैसर्स सीएआरई सलाहकार समिति को संशोधित योजना के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था।

सीआईएल बोर्ड ने 22.12.2006 को हुई अपनी 229वीं बैठक में बीसीसीएल द्वारा तैयार की गयी तथा मामूली संशोधन के साथ मैसर्स सीएआरई सलाहकार समिति द्वारा संवीक्षा की गयी पुनरूद्धार योजना पर विचार-विमर्श किया, बोर्ड ने सरकार के अनुमोदन के लिए बीसीसीएल की पुनरूद्धार योजना को अग्रेनित करने की सिफारिश की।

सीआईएल बोर्ड ने सीआईएल से बीसीसीएल को निम्नलिखित वित्तीय सहायता अनुमोदित किया।

I. निर्धारित पुनर्भुगतान कार्यक्रम के अनुसार बीसीसीएल द्वारा पुनःभुगतान किए जाने वाले मैसर्स सीएआरई की रिपोर्ट में निर्दि-ट व-र्-वार चरणबद्धता के अनुसार अधिकतम 1350 करोड़ रू. तक ऋण के माध्यम से नकद सहायता।

II. पिछले 1083 करोड़ रू. के ऋण को 1.4.2005 से ब्याज मुक्त किया जाएगा। तथापि, 31.03.05 तक उपार्जित ब्याज तथा सीआईएल की पुस्तिका में आय के रूप में न मानी गयी 493 करोड़ रू. की राशि को 2009-10 में माफ कर दिया जाएगा और

III. 1083 करोड़ रू. की छूट तथा 1456 करोड़ रू. की चालू खाता शे-ा राशि तथा व-र्-के दौरान अन्य ऋणों पर उपार्जित ब्याज के लिए बीसीसीएल को सकारात्मक निवल-मूल्य की सूचना देने के लिए समर्थ बनाया जाएगा। पुनरूद्धार प्रस्ताव बीआरपीएसई के विचाराधीन है।

इसी बीच, बीसीसीएल का अलग-थलग टुकड़ों में किराए के हैम को तैनात करने के प्रयास के साथ विभागीय क्षमता के पुनरूद्धार पर ध्यान केन्द्रित करने के परिणामस्वरूप अप्रैल-दिसम्बर, 2007 (अनन्तिम) में पिछले व-र्-की इसी अवधि की तुलना में ओ.बी. रिमूवल में 8.32% की वृद्धि हुई।

3.7 (छ) केप्टिव खनन

- लोहा और इस्पात के निर्माताओं, विद्युत उत्पादन, खानों से प्राप्त कोयले की धुलाई समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्त्य उपयोगों के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के उद्देश्य से कोयला खान (रा-ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1973 को समय-समय पर संशोधित किया गया।

- तत्पश्चात, सीमेंट उत्पादन के लिए कोयले के गृहीत खनन हेतु भी सरकार द्वारा दिनांक 15.3.1996 की अधिसूचना के तहत अनुमति दे दी गई है तथा कोयला गैसीकरण (भूमिगत और सतह) के द्वारा प्राप्त सिन-गैस के उत्पादन तथा कोयला द्रवीकरण को भी दिनांक 12.7.07 की अधिसूचना के द्वारा अन्त्य उपयोगों के रूप में अधिसूचित किया गया।

- इसके अलावा, राज्य सरकार की कम्पनियों अथवा उपक्रमों को 12.12.01 की संशोधित कोयला खनन नीति, 1979 (नई राज्य कोयला खनन नीति, 2001) की कतिपय शर्तों के अधीन देश में कहीं भी या तो ओपनकास्ट अथवा भूमिगत पद्धति से कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयला भंडारों का कैप्टिव खनन करने की अनुमति दी जाती है।
- उपर्युक्त ढांचे को कार्यान्वित करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण किया गया जिसके तहत कोयला मंत्रालय में एक" जांच समिति" का गठन किया गया।
- जांच समिति की अध्यक्षता सचिव(कोयला) करते हैं । यह एक अन्तर्-मंत्रालीय और अन्तर्-सरकारी प्रकृति का निकाय है ।
- इस समिति में संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित रा-ट्रीयकृत कोयला कंपनियों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं ।
- यह कैप्टिव खनन हेतु कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए पात्र कंपनियों का चयन करती है ।
- यह चर्चा और विचार-विमर्श करती है तथा आवेदकों के गुण-अवगुण के आधार पर आवंटन कर निर्णय लेती है ।
- पूर्व में पहचान किए गए कोयला ब्लाकों के अतिरिक्त, कैप्टिव खनन के लिए 81 अतिरिक्त कोयला ब्लाकों की पहचान की गयी है जिन्हें कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

- अब तक 181 कोयला ब्लाकों का आबंटन किया गया है जिनमें 26928.59 मि.ट. भू-गर्भीय भंडारों वाले 95 कोयला ब्लाकों को सरकारी कम्पनियों तथा 13967.63 मि.ट. भू-गर्भीय भंडारों वाले 86 कोयला ब्लाक निजी कम्पनियों को आबंटित किए गए हैं।
- अभी तक 13 ब्लॉकों में उत्पादन शुरू हुआ है और 2007-08 तक 27 ब्लाकों में उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है।

### 3.8 (ज) पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के उपाय :

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) की मंजूरी मिलने के बाद ही कोयला खनन परियोजना अनुमोदित की जाती है। ईएमपी में यथा निर्धारित पर्यावरणीय प्रशमन उपाय खनन गतिविधि के दौरान और उसके पूरा होने के बाद एक नियमित कार्यकलाप है। पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन को भी मानीटर किया जाता है। खानों के आसपास बड़े पैमाने पर पौध रोपण, आवोहवा और जल की गुणवत्ता की मानीटरिंग, भूमि सुधार, खानों से अवशि-टों का शोधन आदि खनन परियोजना में नियमित कार्यकलाप हैं।

कार्यबल और विभिन्न स्टेकधारकों को शिक्षित करने के लिए पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरणीय सुरक्षा सप्ताह नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। रा-ट्रीयकरण के पहले पूर्ववर्ती खान मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक खनन के कारण झरिया और रानीगंज कोलफील्डों में आग और भूमि धंसाव के कारण खतरा संभावित क्षेत्र में आग और लोगों के पुनर्वास से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

### 3.9 (झ) कर्मचारियों और परियोजना प्रभावित जनसंख्या के कल्याणार्थ उपाय

| कल्याणकारी उपाय | रा-ट्रीयकरण के समय | 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| उपलब्ध गृहों की सं. | 118366 | 4,12,874 |
| आवासीय संतो-ाप्रदत्ता | 21.07% | **93.89 %** |
| जलापूर्ति योजना के तहत शामिल जनसंख्या | 227300 | **22,90,438** |
| अस्पताल (सं. ) | 49 | **85** |
| डिस्पेन्सरी (सं.) | 197 | **425** |
| एम्बूलेंस (सं.) | 42 | **667** |
| अस्पताल में बिस्तर | 1482 | **5835** |
| कोलफील्ड क्षेत्रों में और उसके आसपास चल रहे स्कूल और कालेज | 287 | **592** |
| कैन्टीन (सं.) | 210 | **481** |
| सहकारिताएं (सं.) | **177** | **336** |

सी.आई.एल. की एक सुपरिभा-ित पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति (आर. एण्ड आर. नीति, 2000) है जिसमें रिक्तियां भरने के लिए अपवादात्मक परिस्थितियों में अधिग्रहीत की गई भूमि के बदले रोजगार दिए जाने का प्रावधान है बशर्ते कि भू-वंचित पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हों और उन्हें संबंधित सहायक कंपनी के निदेशक बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हो।

3.10 (ञ)विनिर्दि-ट अन्त्य उपयोगों के रूप में कोयला गैसीकरण और कोयला द्रवीकरण की अधिसूचना

समेकित ऊर्जा नीति में यह सिफारिश की गई है कि मौजूदा केप्टिव खपत नीति के अंतर्गत स्वस्थाने कोयला गैसीकरण और कोयला द्रवीकरण को विनिर्दि-ट अन्त्य उपयोगों के रूप में अधिसूचित किया जाए। इससे निजी उद्यम इन नई प्रौद्योगिकियों के विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

तदनुसार, अन्त्य उपयोगों के रूप में कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण को विनिर्दि-ट करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई और 12 जुलाई, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

3.11 (ट) मिनी-रत्न दर्जा की घो-ाणा

कोयला कंपनियों को कार्यात्मक स्वायत्तता देने से उन्हें उभरती हुई चुनौतियों को बेहतर तरीके से निपटने में समर्थ बनाएगी। अधिक वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से कोयला खान परियोजनाओं के तेजी से आरंभ होने में सहायता मिलेगी जिससे कोयला उत्पादन में तेजी से वृद्धि होगी। इसके लिए, सीआईएल को नवरत्न का दर्जा देने का प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग में प्रस्तुत कर दिया गया है।

निम्नलिखित कोयला कंपनियों को मिनी-रत्न श्रेणी-I का दर्जा देने के लिए आदेश जारी किया गया है।

1. कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ;
2. महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल) ;
3. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल) ;
4. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) ;
5. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) ;
6. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)।

सरकार द्वारा मिनी रत्न श्रेणी-I कंपनी को दी गई अधिक स्वायत्तता तथा प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करने के लिए इन कोयला कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई है।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) को भी मिनी रत्न कंपनी के रूप में घो-ित किया गया है।

3.12 (ठ) कोयला क्षेत्र के लिए विनियामक

कोयले का मूल्य निर्धारित करने के लिए कोयला विनियामक की नियुक्ति करने के संबंध में विभिन्न स्रोतों से इस मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया (एएससीआई) की नियुक्ति की गई। एएससीआई ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है ।

3.13 (ड) कोयला/लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों में संशोधन

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन कोयला और लिग्नाइट पर रायल्टी देय है। एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 9(3) केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज के संबंध में रायल्टी की दरें बढ़ाने अथवा घटाने की शक्तियां प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधान तीन व-र्ा की किसी अवधि के दौरान किसी खनिज की एक बार से अधिक रायल्टी की दर में बढ़ोतरी करने से केन्द्र सरकार को रोकते हैं।

कोयला से संबंधित रायल्टी दरें पिछली बार 16.8.2002 को तथा लिग्नाइट से संबंधित रायल्टी दर 15.3.2001 को संशोधित की गई थी।

कोयला पर रायल्टी दरों में संशोधन के मुद्दे की जांच करने के लिए कोयला मंत्रालय ने 2.6.05 को अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने सभी स्टेकधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद 14.7.06 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

सरकार ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद यथा मूल्य + एक निर्धारित घटक वाले फार्मूला के आधार पर 1.8.2007 से कोयला और लिग्नाइट पर रायल्टी दरें संशोधित की हैं। रायल्टी की दरें रायल्टी की विशि-ट और यथा मूल्य दरों का एक संयोजन होगी और ये निम्नलिखित होंगी :

आर (रायल्टी रू./टन) = ए + बी पी

जिसमें " पी " (मूल्य) का अर्थ करों, उपकरों तथा अन्य शुल्कों को छोड़कर बीजक में यथा परिलक्षित आरओएम (रन-आफ-माइन) कोयला और लिग्नाइट का मूल पिटहेड मूल्य तथा " ए " (निर्धारित घटक) और " बी " (वेरिएबल अथवा यथा मूल्य घटक) से होगा ; " बी " को करों आदि को छोड़कर बीजक मूल्य का 5% निर्धारित किया गया है और कोयले के ग्रेड के अनुसार निर्धारित घटक भिन्न है।

कोयला और लिग्नाइट पर दरों में संशोधन से कोयला उत्पादन राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है।

3.14 (ढ) विशे-ाज्ञ समिति :

कोयला क्षेत्र के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए श्री टी.एल. शंकर की अध्यक्षता में गठित विशे-ाज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। विशे-ाज्ञ समिति की सिफारिशों में कोयला और लिग्नाइट की दीर्घकालिक मांग और आपूर्ति की संभावना, कोयला खानों के अनुमोदन की प्रक्रियाओं में सुधार लाना, कोयला क्षेत्र में विनियमन और शासन, कोल इंडिया लि. की पुनर्संरचना, उत्पादकता में सुधार, कोयला क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कोयला क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन आदि शामिल है।

---

# अध्याय-4

विगत कार्य-नि-पादन की समीक्षा

4.1 कोयले की अखिल भारतीय क्षेत्र-वार कोयला मांग

(मिलियन टन में)

| क्र. सं. | क्षेत्र | 2004-05 (वास्तविक) | 2005-06 (वास्तविक) | 2006-07 (वास्तविक) अंनतिम | 2007-08 (ब.अ.) | 2007-08 (सं.अ.) | 2008-09 (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | कोकिंग कोयला | | | | | | |
| 1 | इस्पात एवं कोकरीज (स्वदेशी) | 17.51 | 16.99 | 17.30 | 18.00 | 18.00 | 26.20 |
| 2 | कोकिंग कोयला (आयात) | 16.93 | 17.11 | 17.88 | 20.00 | 20.00 | 17.80 |
| | उप-जोड़ | **34.43** | **34.10** | **35.18** | **38.00** | **38.00** | **44.00** |
| II | नान-कोकिंग कोयला | | | | | | |
| 3 | विद्युत (उपयोगिता) आरसी | 285.55 | 299.76 | 307.84 | 330.00 | 330.00 | 373.00 |
| | विद्युत (उपयोगिता) मिड. | (1.48) | (1.48) | (1.54) | | | |
| 4 | विद्युत (केप्टिव) | 27.10 | 26.58 | 28.13 | 33.60 | 33.60 | 38.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरसी | | | | | | |
| | विद्युत (केप्टिव) मिड. | (1.71) | (1.71) | (1.64) | | | |
| 5 | सीमेंट (सीपीपी सहित) | 18.33 | 18.71 | 19.74 | 26.80 | 26.80 | 25.00 |
| 6 | स्पांज आयरन/ सीडीआई | 10.99 | 14.73 | 17.44 | 15.10 | 15.10 | 18.00 |
| 7 | बीआरके अन्य/ आयात/एसएसएफ/ एनएलडब्ल्यू कोकरीज/लोको/ कोलियरी कान.- आरसी | 32.39 | 39.64 | 55.51 | 49.00 | 49.00 | 52.00 |
| | बीआरके/अन्य/ आयात/एसएसएफ/ एनएलडब्ल्यू कोकिरीज/लोको/ कोलियरी कान.- मिड | (0.00) | (0.00) | | | | |
| | कुल-जोड़-आरसी | **374.35** | **399.41** | **428.69** | **454.50** | **454.50** | **506.00** |
| | कुल-जोड़-मिड. | **(3.19)** | **(3.19)** | **(3.18)** | | | |
| | | | | | | | |
| *VÉ Éä ½* | कच्चा कोयला | **408.79** | **433.51** | **463.87** | **492.50** | **492.0** | **550.00** |
| | मिडलिंग | **(3.19)** | **(3.19)** | **(3.18)** | | | |

- प्रयुक्त संक्षेपण- आरसी - कच्चा कोयला, मिड. - मिडलिंग , बीआरके - ईंट-भट्ठा, एसएसएफ - विशे-ा धुंआ रहित ईंधन , एनएलडब्ल्यू-गैर-सम्बद्ध वाशरियां ।

**4.2** निवेश के सतत कार्यक्रम और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर अधिक जोर देकर 70 के दशक के प्रारंभ में कोयला खानों के रा-ट्रीयकरण के समय में लगभग 70 मिलियन टन के स्तर से 2006-07 तक 430.828 मिलियन टन (अखिल भारतीय) तथा कोयले के उत्पादन को बढ़ाना संभव हुआ है। व-र्ा 2007-08 में कोयले का लक्षित उत्पादन 460.39 मिलियन टन के स्तर तक का होगा।

4.3 अखिल भारतीय कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

| | **2004-05** (वास्तविक) | **2005-06** (वास्तविक) | **2006-07** (वास्तविक) (अनं.) | **2007-08** (ब.अ.) | **07-08** (सं.अ.) | **08-09** (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोल इंडिया लिमिटेड | 323.58 | 343.39 | 360.913 | 384.51 | 384.40 | 405.00 |
| एससीसीएल | 35.30 | 36.14 | 37.707 | 38.04 | 40.508 | 41.50 |
| अन्य | 23.74 | 27.48 | 32.208 | 37.95 | 36.85 | 50.79 |
| जोड़ (अखिल भारतीय) | **382.62** | **407.01** | **430.828** | **460.50** | **461.75** | **497.29** |

4.4 कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, नई कोयला खान परियोजनाएं और कल्याण कार्यकलाप आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

लिग्नाइट

4.5 वर्-ा 2006-07 (वास्तविक), बजट अनुमान 2007-08, संशोधित अनुमान 2007-08 और बजट अनुमान 2008-09 के लिए एनएलसी का उत्पादन कार्यक्रम निम्नलिखित किए गए है :-

| मद | **2006-07** (वास्तविक) | **2007-08** (ब.अ.) | **2007-08** (सं.अ.) | **2008- 09** (ब.अ.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. लिग्नाइट (मि.ट.) | 21.01 | 20.05 | 20.05 | 21.14 |
| 2. विद्युत (एमयू) | 15787 | 15705 | 15705 | 16299 |

योजना स्कीमों की समीक्षा

अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं

4.6 अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों को कोयला क्षेत्र में स्थाई वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एस.एस.आर.सी.) नामक एक शी-ार्स्थ निकाय के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) हैं । इस शी-ार्स्थ निकाय में अन्य सदस्यों के साथ-साथ सीआईएल के अध्यक्ष, सीएमपीडीआईएल, एससीसीएल तथा एनएलसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परि-ाद (सीएसआईआर) के संबंधित निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, योजना आयोग तथा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं । एस.एस.आर.सी. के मुख्य क्रियाकलाप योजना, कार्यक्रम, बजट बनाना तथा अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और किए गए अनुसंधान तथा विकास(आर एंड डी) कार्य के नि-क-र्ाों को लागू कराना है। सीआईएल के आंतरिक अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों के लिए, अध्यक्ष, सीआईएल की अध्यक्षता में एक अनुसंधान व विकास बोर्ड भी कार्य कर रहा है।

4.7 एसएसआरसी की सहायता तकनीकी उप-समिति द्वारा की जाती है जो अनुमोदन हेतु एसएसआरसी को परियोजना प्रस्तावों की संस्तुति करती है।

4.8 सी.एम.पी.डी.आई.एल. कोयला तथा लिग्नाइट के क्षेत्र में अनुसंधान क्रियाकलापों के समन्वय हेतु एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

i) अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए लक्षित क्षेत्रों की पहचान करना
ii) उन अभिकरणों की पहचान करना जो पहचान किए गए क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य शुरू कर सके।
iii) सरकार के अनुमोदन हेतु अनुसंधान प्रस्तावों पर कार्रवाई करना।
iv) परियोजना की प्रगति तथा बजट अनुमानों एवं निधियों के संवितरण पर निगरानी रखना।

देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न सरकारी तथा अनुसंधान/शैक्षिक संस्थानों एवं सीएसआईआर प्रयोगशालाओं द्वारा एस एंड टी परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी सरकारी स्वीकृति के अनुसार इन संस्थानों को अनुसंधान अनुदान रिलीज किया जाता है। सीएमपीडीआई एक नोडल अभिकरण होने के साथ-साथ इसने कई अनुसंधान परियोजनाओं को भी कार्यान्वित किया है।

4.9 10वीं योजनावधि तथा 11वीं योजनावधि के दौरान कोयला एस एण्ड टी अनुदान के अन्तर्गत कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोनित कोयला एस एण्ड टी परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गयी है :-

(करोड़ रू. में)

| योजना | 10वीं | | | | | 11वीं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्-ा | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 (31.12.07 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 | | | | | तक) |
| गत वर्न की शेन परियोजनाएं | 42 | 42 | 49 | 47 | 45 | 36 |
| वर्न के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं | 10 | 18 | 08 | 09 | 02 | 06 |
| वर्न के दौरान चल रही परियोजनाएं | 52 | 60 | 57 | 56 | 47 | 42 |
| वर्न के दौरान पूरी की गयी परियोजना | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 07 (3 और संभावित) |
| वर्न के दौरान बन्द की गई परियोजना | शून्य | 01 | शून्य | शून्य | 01 | - |

क्षेत्रीय अन्वेनण

4.10 भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.), खनिज अन्वेनण निगम लि. (एम.ई.सी.एल.) तथा सी.एम.पी.डी.आई.एल. कोयला मंत्रालय की " कोयला एवं लिग्नाइट के प्रोन्नत अन्वेनण की योजनागत स्कीम के अधीन 11वीं योजना में भी प्रोन्नत अन्वेनण को जारी रख रहा है। वर्न 2006-07 में कोयला एवं लिग्नाइट के क्षेत्रों की गई प्रोन्नत ड्रिलिंग तथा 2007-08 और 2008-09 हेतु कार्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

**(ड्रिलिंग मीटर में)**

| कमान क्षेत्र | 2006-07 वास्तविक | 2007-08 ब.अनु. | 2007-08 प्रस्तावित सं. अनु. | 2008-09 प्रस्तावित ब.अनु. |
|---|---|---|---|---|
| वास्तविक | | | | |
| 1. सीआईएल कमान क्षेत्र में ड्रिलिंग | 51675 | 60300 | 60300 | 61000 |
| 2. एससीसीएल कमान क्षेत्र में ड्रिलिंग | 18212 | 18000 | 18000 | 18000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. लिग्नाइट क्षेत्र में ड्रिलिंग | 31721 | 71700 | 77200 | 71000 |
| जोड़ | **101608** | **150000** | **155500** | **150000** |

नोट : अप्रैल से दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान कुल 79919 मीटर की प्रोन्नत ड्रिलिंग की गई है। इसमें से 36637 मीटर सीआईएल के कमाण्ड क्षेत्र में, 12157 मीटर एससीसीएल के कमाण्ड क्षेत्र में तथा 31125 मीटर लिग्नाइट क्षेत्र में ड्रिल किया गया है।

विस्तृत अन्वे-ाण

4.11 सीएमपीडीआई कार्यक्रम के अनुसार सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वे-ाण जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय(एमओसी) की " गैर-सी.आई.एल. ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग " की योजना स्कीम के अंतर्गत गैर-सी.आई.एल ब्लाकों/ गृहित खनन ब्लाकों में अन्वे-ाणात्मक ड्रिलिंग भी की जाती है।

4.12 2006-07 में सी.आई.एल. के कमान क्षेत्र में की गई वास्तविक ड्रिलिंग के ब्यौरे तथा 2007-08 एवं 2008-09 हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :-

कोयले का विस्तृत अन्वे-ाण कार्यक्रम

(सीआईएल के कमान क्षेत्र में सीआईएल/गैर-सीआईएल/राज्य सरकार के गृहीत खनन ब्लाक)

| अभिकरण | **2006-07** वास्तविक | **2007-08** ब.अ. (संशोधित) | **2007-08** प्रस्तावित सं.अ. | **2008-09** प्रस्तावित ब.अ. |
|---|---|---|---|---|

| | सीआईएल द्वारा वित्त पोनित | कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोनित | सीआईएल द्वारा वित्त पोनित | कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोनित | राज्य द्वारा वित्त पोनित | सीआईएल द्वारा वित्त पोनित | कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोनित | राज्य द्वारा वित्त पोनित | सीआईएल द्वारा वित्त पोनित | कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोनित | राज्य द्वारा वित्त पोनित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) सीएमपीडीआई | 139843 | 51774 | 100000 | 25000 | 52200 | 134700 | 47500 | 3000 | 127200 | 49000 | 13000 |
| 2) एमईसीएल | 715 | - | - | - | - | 5800 | - | - | - | - | - |
| 3) अन्य | 6535 | - | 8000 | 161000 | - | 34100 | 30000 | - | 94300 | 200000 | - |
| जोड़ | 147093 | 51774 | 108000 | 186000 | 52200 | 174600 | 77500 | 3000 | 221500 | 249000 | 13000 |

नोट : अप्रैल से दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान कुल 131416 मीटर की विस्तृत ड्रिलिंग की गई है। इसमें से 94687 मीटर सीआईएल की निधि (सीएमपीडीआई = 91112 मीटर, एमईसीएल = 996 मीटर तथा अन्य = 2579 मीटर) से ड्रिल की गई और 36729 मीटर सीएमपीडीआई द्वारा गैर-सीआईएल ब्लाकों में कोयला मंत्रालय की निधि से की गई।

पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण

4.13 इस योजना का उद्देश्य आग तथा धंसाव की समस्याओं का समाधान निकाल कर झरिया और रानीगंज के पुराने खनित क्षेत्रों में पर्यावरणीय परिस्थितियों का सुधार करना है।

4.14 11वीं योजना अवधि के दौरान पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण में अधिक बल दिए जाने वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

(क) रानीगंज कोयला क्षेत्रों में पुरानी, परित्यक्त, जलमग्न खानों में धंसाव पर नियंत्रण।
(ख) झरिया कोयला क्षेत्रों में खान की आग तथा धंसाव पर नियंत्रण।
(ग) रानीगंज, झरिया, बोकारो, करनपुरा आदि जैसे अधिक पुराने कोलफील्डों में उत्खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार।

4.15 पुरानी, परित्यक्त और जलमग्न खदानों में धंसाव की समस्या पूर्व में उथली सतह के नीचे गैर-वैज्ञानिक रूप से किए गए कोयले के उत्खनन के कारण उत्पन्न हुई है तथा यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र तक ही सीमित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र की इस समस्या के लिए सी.आई.एल. द्वारा 1990 में एक शी-र्स्थ निगरानी समिति का गठन किया गया, जिसमें कोयला कंपनी, जिला प्रशासन, खान सुरक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय खान अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि और जनता के प्रतिनिधि (सांसद, विधायक आदि) शामिल थे।

4.16 भारतीय कोयले के स्वतः ज्वलनशील प्रकृति के होने के कारण कोयला खानों में आग लगने की घटनाएं होती हैं। कोयला क्षेत्र में पहली बार आग लगने की सूचना झरिया में 1916 में मिली थी । व-र् 1971 में कोकिंग कोयला खानों का रा-ट्रीयकरण किए जाने के समय लगभग 17 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में 70 स्थलों में सक्रिय आग फैली हुई थी। इनमें से अब तक 10 स्थलों की आग को बुझा दिया गया है। आगे का कार्य प्रगति पर है।

4.17 रानीगंज तथा झरिया कोयला क्षेत्रों में लगी आग तथा धंसाव की समस्या से व्यापक रूप से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1996 में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें योजना आयोग, श्रम मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार, खान-सुरक्षा महानिदेशक, सीआईएल, सी.एम.पी.डी.आई., भा.को.को.लि. तथा ई.को.लि. के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति ने दिसम्बर, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । तदनुसार, रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्रों के लिए अस्थिर और आग प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं । प्रथम चरण में, बी.सी.सी.एल. और ई.सी.एल. के कमान क्षेत्र में प्रत्येक के लिए क्रमशः 33.88 करोड़ रुपए और 32.52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की दो योजनाएं मंजूर की गई हैं।

4.18 ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की स्थिति निम्नानुसार है : -

"ई.सी.एल. में चार अस्थिर स्थलों की स्थिरीकरण" योजना की स्थिति

सामडीह गांव (सलानपुर क्षेत्र), केन्दा गांव (केन्दा क्षेत्र), बंगालपारा (पांडवेश्वर) और हरीशपुर गांव (काजोरा क्षेत्र) के संबंध में ग्राम समितियां गठित हो गई हैं। प्रभावित स्थलों की वीडियोग्राफी हो गई है तथा परिवार के मुखिया के फोटोग्राफ ले लिए गए हैं। जनसांख्यिकी सर्वेक्षण, भूमि के रिकार्ड का सत्यापन और घरों के मूल्यों का आकलन कार्य पूरा हो गया है। परिवार के मुखिया के पहचान पत्र जारी करने हेतु तैयार हैं। प्रस्तावित पुनर्वास स्थल का चयन कर लिया गया है। बंगालपारा (पांडवेश्वर) के संबंध में प्रस्तावित पुनर्वास स्थल के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

ईएमएससी-24 "बी.सी.सी.एल. के अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों के स्थानांतरण की योजना" की स्थिति :-

4.19 इस योजना में 4600 आवास परिकल्पित है (बी.सी.सी.एल. व्यक्तियों हेतु 1500 तथा गैर-बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों हेतु 3100)। बी.सी.सी.एल. कर्मचारियों के लिए 344 घरों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है जिनमें से 204 परिवार स्थानांतरित हो गए हैं। 1156 बीसीसीएल परिवारों के लिए मकानों के निर्माण हेतु निविदा को अंतिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा है। 3100 गैर बी.सी.सी.एल. मकानों के निर्माण के लिए गैर-बी.सी.सी.एल. व्यक्तियों के लिए 3100 मकानों के निर्माण के मामले से निपटने के लिए बिहार सरकार द्वारा 2.3.1998 के आदेश संख्या बीएम/17/96/980/एम द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। आयुक्त, छोटा

नागपुर मण्डल, बिहार राज्य इस समिति के अध्यक्ष थे। ख़तरे वाले क्षेत्रों से गैर-बी.सी.सी.एल. व्यक्तियों के पुनर्वास के वि-ाय पर विस्तृत विचार विमर्श के समय उक्त समिति द्वारा यह पाया गया कि पारम्परिक इंदिरा आवास योजना के घरों की आधारभूत विशे-ताओं में कई अन्तर्निहित खामियाँ थी। इस प्रकार की पारंपरिक इकाईयों के निर्माण के पीछे सोच मुख्यतः ग्रामीण लोगों के लिए आवास इकाईयों का निर्माण करना है जबकि वर्तमान स्थिति में पुनर्वास शहरी तबके के लोगों से संबंधित है, भले ही वे आर्थिक रूप से गरीब हैं। इसके परिणामस्वरूप यह महसूस किया गया है कि इस प्रकार के मकान लोगों द्वारा पसंद नहीं किए जाएंगे तथा वे उन मकानों में जो उनके विद्यमान आवास से दूर हैं स्थानांतरित होने में अनिच्छुक होंगे। अतः समिति ने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेहतर सुविधाओं से युक्त विस्थापित आवास प्रदान करने का सुझाव दिया। अतः योजना को संशोधित किया गया था। मूल योजना को फरवरी, 2003 में 61.09 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से संशोधित किया गया था। गैर-बीसीसीएल मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को 1641.40 लाख रू. की राशि प्रदान की गई है। झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) बेलगोरिया मौजा में 3100 मकानों के निर्माण का कार्य कर रहा है। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रेंक्शन लि. (एचएससीएल) द्वारा 900 मकानों का निर्माण अग्रिम स्तर पर है। रा-ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा बेलगोरिया मौजा में शे-ा 2200 मकानों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

गैर-बीसीसीएल मकानों का जनसांख्यिकी सर्वेक्षण झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ बीसीसीएल द्वारा राज्य सरकार को 5.40 लाख रू. दे दिए गए हैं। सी.एम.पी.डी.आई.एल. द्वारा बी.सी.सी.एल. के मकानों का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण किया जाना है।

4.20 रानीगंज, झरिया, बोकारो और करणपुरा जैसे पुराने कोयला क्षेत्रों में, ओपनकास्ट और भूमिगत दोनों खानों के कारण उत्खनित क्षेत्रों को विशे-ातः रा-ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि के दौरान बिना किसी पुनरूद्धार के छोड़ दिया गया था। इन निम्नीकृत क्षेत्रों के पुनरूद्धार के लिए ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. के कमान क्षेत्रों में पुनरूद्धार योजनाएं तैयार की गई हैं। बी.सी.सी.एल. में दो स्कीमें, ई.सी.एल और सी.सी.एल. में एक-एक स्कीम पूरी कर दी गयी है। पूर्णता रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

4.21 ई.एम.एस.सी योजनाओं (2001-02 में स्वीकृत 4 पुनर्वास, आग एवं धंसाव नियंत्रण (आरसीएफएस) योजनाओं सहित) के आरंभ होने से 31.12.2007 तक वास्तविक संवितरण 116.90 करोड़ रुपए है। संशोधित अनुमान(आरई) 2007-08 (प्रस्तावित) और बजट अनुमान(बीई) 2007-08 (अनुमोदित) क्रमशः 28.22 करोड़ रूपए तथा 31.12 करोड़ रूपए हैं जबकि 2008-09 का बजट अनुमान 10.00 करोड़ रू प्रस्तावित है।

झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में आग, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने हेतु मास्टर प्लान/कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है। कुछ संशोधनों की शर्त पर प्रस्तावित पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पैकेज (आर एंड आर) हेतु पश्चिम बंगाल का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और झारखंड सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

कोयला संरक्षण तथा विकास अधिनियम (सीसीडीए) के अंतर्गत संरक्षण एवं कोयला खानों में सुरक्षा और परिवहन अवसरंना का विकास

4.22 मुख्यतः कोयला खनिकों/खान के सुरक्षा पहलुओं से सम्बद्ध कोयले के संरक्षण को सुनिश्चित करने तथा अवसंरचनात्मक विकास के जरिए अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को कोयले के सुव्यवस्थित संचलन को सुकर बनाने के लिए कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 (सीएमसी एंड डी) के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों के अनुसार कोयला खान मालिकों के प्रतिपूर्ति के रूप में इन योजनाओं को विगत 31 व-र्ों से गैर-योजनागत प्रावधानों के माध्यम से आंशिक रूप से सहायता दी जा रही है। उक्त अधिनियम केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह भारत की सभी कोलियरियों से (वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया) सभी उत्पादित तथा प्रेनित कोयले पर उत्पाद शुल्क संग्रह कर सकती है और कोयला खानों में सुरक्षा अथवा कोयले के संरक्षण, कोयले के संरक्षण से सम्बद्ध अनुसंधान कार्य के निपटान अथवा कोयला खानों के विकास और कोयले के संरक्षण से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन अथवा कोयला खानों अथवा परिवहन के विकास, कोयले के संवितरण अथवा उपयोग के लिए रेत भराई तथा अन्य प्रचालनों को करने के लिए मालिकों, एजेंटों अथवा प्रबंधकों को पूर्ववर्ती व-र् अथवा व-र्ों के दौरान संग्रह की गयी राशि को, जो निवल लाभ से अधिक न हो, प्रत्येक वित्त व-र् के दौरान वितरित कर सकती है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कोयले पर उत्पाद

शुल्क का संग्रह करना है जिसे अवसंरचनात्मक विकास सहित संरक्षण तथा विकास संबंधी कार्यों के लिए कोयला खानों को पूर्णतः वितरित किया जाएगा। इसलिए इस प्रकार संग्रह किए गए रेत भरायी के उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति, कोयला संरक्षण आदि के लिए खान प्रचालकों को वापस लौटाना, सीएम(सी एंड डी) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत एक सांविधिक आवश्यकता है।

4.23 प्रतिपूर्ति की जांच और संवीक्षा कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) नियमावली, 1975 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित " कोयला संरक्षण तथा विकास सलाहकार समिति "(सीसीडीए समिति) द्वारा की जाती है। सरकार इन राशियों की प्रतिपूर्ति आंशिक रूप से (शे-ा कोयला कम्पनियों द्वारा वहन किया जाना है) कोयला कम्पनियों को, विगत वित्त व-र्ा के दौरान पहले से विद्यमान देयता को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधान के माध्यम से करती है। जहां तक प्रतिपूर्ति का संबंध है, पिछले कुछ व-र्ाों से बकाया चल रहा है क्योंकि देयताएं बजट अनुदान से अधिक हैं। सीसीडीए उप समिति द्वारा आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है उसके बाद सीसीडीए समिति द्वारा आकलन किया जाता है।

4.24 योजना स्कीम अर्थात विस्तृत ड्रिलिंग, क्षेत्रीय अन्वे-ाण और अनुसंधान एवं विकास योजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम का विकास

4.25 इस वि-ाय पर संगत निर्देशों के अनुसार योजनागत परिव्यय का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम के विकास के लिए निर्धारित किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि यह राशि व्यय नहीं हो पाती है तो उसे केन्द्र सरकार के गैर-व्यपगत पूल में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

4.26 अपने आन्तरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) का प्रयोग करने वाले कोयला पीएसयू द्वारा इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है और सरकार उन्हें कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं करती है। 100 करोड़ रू. तथा उससे अधिक की लागत वाली कम्पनी-वार तथा परियोजना-वार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-IV (क) के फार्मेट में दिया गया है।

-------

अनुबंध-**IV (क)**

कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में 100 करोड़ रू. तथा उससे अधिक लागत वाली चल रही/नई परियोजनाओं के ब्यौरे

| क्र. सं. | परियोजना | प्रकार | स्वीकृत क्षमता (मि.ट. प्रतिव-र्l) | स्वीकृत पूंजी (करोड़ रू.) | स्वीकृति की तारीख पूर्ण होने की समय- सीमा पूर्ण होने का अनुमान | कोयले का ग्रेड लिंकेज | वास्तविक उत्पादन 06-07 (मि.ट.) | ब.अ. 07-08 सं.अ. 07-08 (मि.ट.) | ब.अ. 08-09 (मि.ट.) | 31.12.2007 के अनुसार स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | झांझरा एलडब्ल्यू (फेस-II), ईसीएल | यूजी | **1.70** | **287.17** | नव.**-06**<br>मार्च**-10**<br>मार्च**-10** | बी (एलएफ) विद्युत | **0.000** | **0.000**<br>**0.000** | **0.000** | पीएसएलडब्ल्यू प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन और आरंभ किए जाने के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है। |
| **2** | चितरा (ईस्ट) (2.50 मि.ट. | ओसी | **2.50** | **112.69** | अगस्त**-07**<br>मार्च**--12** | डी विद्युत | **0.000** | **0.000**<br>**0.000** | **0.200** | ईएमपी तथा वानिकी स्वीकृति की शर्त पर परियोजना को अनुमोदित |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिवर्ष- ईसीएल | | | | मार्च-12 | | | | | कर दिया गया है। ईएमपी के लिए फार्म-I सीजीएम (ईई), सीआईएल, नई दिल्ली को दिनांक 5.1.2007 को पहले की प्रस्तुत कर दिया गया है। ईसी बैठक प्रतिक्षित है। |
| **3** | पुटकी बलिहारी बीसीसीएल | यूजी | **0.68** | **182.60** | फरवरी-**03**<br>मार्च-**03**<br>मार्च-**08** | एस-**II** एंड डब्ल्यू-**IV** वाशरी और इस्पात प्लांट | **0.223** | **0.360**<br>**0.235** | **0.290** | परियोजना छत की प्रतिकूल स्थिति के कारण प्रभावित हो रही है। अक्तूबर, 2007 तक औसत उत्पादन 800 टीपीडी है। परियोजना के लिए सांविधिक और गैर-सांविधिक जनशक्ति मुहैया करायी गयी है। मार्च, 2008 तक 1200 टीपीडी का उत्पादन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की गयी है। |
| **4** | अशोका (10 मि.ट.) सीसीएल | ओसी | **10.00** (वृद्धिक: **3.50)** | **341.63** | दिसम्बर-**07**<br>मार्च-**11**<br>मार्च-**11** | एफ विद्युत | **6.730** | **7.500**<br>**8.000** | **9.500** | मौजूदा 24.21 करोड़ रू. पूंजी के अतिरिक्त 317.41 करोड़ रू. की अतिरिक्त पूंजी से सीसीएल बोर्ड द्वारा ईपीआर (3.50 मि.ट. प्रतिवर्ष) को अनुमोदित किया गया था। |
| **5** | मगध सीसीएल | ओसी | **12.00** | **469.78** | जुलाई-**06**<br>मार्च-**13**<br>मार्च-**13** | एफ विद्युत | **0.000** | **0.000**<br>**0.000** | **0.000** | परियोजना समय के अनुसार है। |
| **6** | नार्थ उरीमरी सीसीएल | ओसी | **3.00** | **175.91** | दिसम्बर-**07**<br>मार्च-**12**<br>मार्च-**12** | सी विद्युत | **0.000** | **0.500**<br>-- | -- | कोयला एवं ओबी आउटसोर्सिंग दोनों के प्रावधान के साथ 3.96 करोड़ रू. की मौजूदा पूंजी के |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | अतिरिक्त 175.91 करोड़ रू. की पूंजी से परियोजना को सीसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। |
| 7 | चुरी-बेनती सीएम सीसीएल | यूजी | 0.650 | 145.440 | अगस्त-07<br>मार्च-11<br>मार्च-11 | बी (एलएफ) बास्केट | 0.140 | 0.150<br>0.140 | 0.130 | भारत सरकार द्वारा चुरी पुनर्गठन यूजी (0.16 मि.ट. प्रतिव-र्) की मोचन-नि-ेध रिपोर्ट के अनुमोदन की शर्त पर सीआईएल बोर्ड द्वारा परियोजना (0.65 वृद्धिक) को अगस्त, 2007 में अनुमोदित किया गया। ईएमपी तथा वानिकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद एनआईटी प्रकाशित किया जाएगा। |
| 8 | अमलोहरी विस्तार एनसीएल | ओसी | 6.00 | 1352.04 | मई-06<br>मार्च-14<br>मार्च-14 | सी, ई, एफ विद्युत | 0.000 | 0.000<br>0.000 | 0.000 | परियोजना समय के अनुसार है। |
| 9 | बीना विस्तार ओसी एनसीएल | ओसी | 6.00 | 168.97 | नवम्बर-06<br>मार्च-14<br>मार्च-14 | ई विद्युत | 0.000 | 0.000<br>0.000 | 0.000 | परियोजना समय के अनुसार है। |
| 10 | ब्लाक-बी एनसीएल | ओसी | 3.50 | 746.04 | जुलाई-06<br>मार्च-12<br>मार्च-12 | सी, डी, एफ विद्युत | 0.000 | 1.500<br>1.900 | 2.300 | परियोजना समय के अनुसार है। |
| 11 | कृ-णाशिला | ओसी | 4.00 | 789.88 | मई-06 | डी | 0.000 | 1.500 | 2.000 | परियोजना समय के अनुसार है। |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एनसीएल | | | | मार्च-10<br>मार्च-10 | विद्युत | | 0.200 | | |
| 12 | निगाही विस्तार एनसीएल | ओसी | 15.00<br>(वृद्धिक: 5.00) | 259.40<br>(वृद्धिक) | अक्तूबर-07<br>मार्च-12<br>मार्च-12 | सी,डी एंड ई<br>विंध्याचल एसटीपी | 11.100 | 10.000<br>11.100 | 11.500 | मौजूदा परियोजना (10 मि.ट. प्रतिवर्ष, 1846.49 करोड़ रू.) ने अपना लक्षित उत्पादन प्राप्त कर लिया है केवल सीएचपीसी (चरण-II) के निर्माण में विलंब हुआ है जिसके अब अक्तूबर, 2008 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। 15 मि.ट. प्रतिवर्ष की परियोजना मार्च, 2012 में पूर्ण हो जाने का कार्यक्रम है। |
| 13 | दीपिका विस्तार (फेस-II) (20 मि.ट. प्रतिवर्ष) एसईसीएल | ओसी | 20.00<br>(वृद्धिक: 10.00) | 856.59<br>(वृद्धिक) | जुला.-05<br>मार्च-10<br>मार्च-10 | एफ<br>सीपत<br>एसटीपीए I | 19.080 | 18.500<br>17.100 | 18.500 | मौजूदा परियोजना (10 मि.ट. प्रतिवर्ष, 533.96 करोड़ रू.) एक पूर्ण हो चुकी परियोजना है। 20 मि.ट. प्रतिवर्ष की परियोजना के मार्च, 2010 में पूर्ण हो जाने का कार्यक्रम है। |
| 14 | गेवरा विस्तार (फेस-II) (25 मि.ट. प्रतिवर्ष) एसईसीएल | ओसी | 25.00<br>(वृद्धिक: 13.00) | 1339.69<br>(वृद्धिक) | जुला.-05<br>मार्च-10<br>मार्च-10 | एफ<br>भिलाई टीपीएस एवं सीएसईबी | 27.220 | 25.000<br>25.000 | 25.000 | मौजूदा परियोजना (12 मि.ट. प्रतिवर्ष, 277.64 करोड़ रू.) एक पूर्ण हो चुकी परियोजना है। 25 मि.ट. प्रतिवर्ष की परियोजना के मार्च, 2010 में पूर्ण हो जाने का कार्यक्रम है। |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | कुसमुण्डा विस्तार (10 मि.ट. प्रतिवर्ष) एसईसीएल | ओसी | 10.00 (वृद्धिक: 4.00) | 360.25 (वृद्धिक | जून-06 मार्च-11 मार्च-11 | एफ विद्युत | 9.060 | 10.000 7.590 | 7.750 | मौजूदा परियोजना (6 मि.ट. प्रतिवर्ष, 168.45 करोड़ रू.) एक पूर्ण हो चुकी परियोजना है। 10 मि.ट. प्रतिवर्ष की परियोजना के मार्च, 2010 में पूर्ण हो जाने का कार्यक्रम है। |
| 16 | भरतपुर विस्तार-III (20 मि.ट. प्रतिवर्ष) एमसीएल | ओसी | 20.00 (वृद्धिक: 9.00) | 131.39 (वृद्धिक) | फरवरी-07 मार्च-10 मार्च-10 | ई, एफ, जी सीपीपी/ स्केट | 4.230 | 13.000 10.000 | 12.000 | परियोजना समय के अनुसार है। |
| 17 | भुवनेश्वरी एमसीएल | ओसी | 20.00 (वृद्धिक: 10.00) | 490.10 | दिसम्बर-07 मार्च-14 मार्च-14 | डी, ई,एफ एंड जी विद्युत | 0.000 | 1.000 0.500 | 1.500 | परियोजना समय के अनुसार है। 10 मि.ट. प्रतिवर्ष परियोजना के लिए 336.68 करोड़ रू. की पहले से अनुमोदित पूंजी सहित 490.10 करोड़ रू. की कुल पूंजी के लिए एमसीएल द्वारा ईपीआर (20 मि.ट. प्रतिवर्ष) अनुमोदित कर दिया गया है। ओबी रिमूवल आरंभ हो गया है। |
| 18 | कनिहा एमसीएल | ओसी | 10.00 (वृद्धिक: 6.50) | 457.77 | दिसम्बर-07 मार्च-12 मार्च-12 | डी, एफ, जी विद्युत | 0.000 | 0.500 0.000 | 1.000 | (10 मि.ट. प्रतिवर्ष) परियोजना के लिए 457.77 करोड़ रू. की पहले से अनुमोदित पूंजी सहित 96.18 करोड़ रू. की कुल पूंजी के लिए एमसीएल द्वारा ईपीआर 3.5 मि.ट. प्रतिवर्ष अनुमोदित कर दिया गया है। |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** कुल्दा<br>एमसीएल | ओसी | **10.00** | **302.96** | जनवरी**-05**<br>मार्च**-10**<br>मार्च**-10** | सी, डी, ई, एफ एंड जी<br>एनटीपीसी एवं एनएलसी | **0.000** | **0.000**<br>**0.000** | **2.000** | परियोजना समय के अनुसार है। |
| **20** बलराम विस्तार एमसीएल | ओसी | **8.00** | **172.08** | दिसम्बर**-07** | | | | | |
| कुल | | **180.030** | **8970.300** | | **0.000** | **77.783** | | | |

* उपयोग किया गया संक्षेपण- ओसी – ओपनकास्ट, यूजी - भूमिगत, एसटीपीएस-सुपर तापीय विद्युत गृह, टीपीडी - टन प्रतिदिन, पीएसएलडब्ल्यू - पिलर सपोर्ट लांगवाल, ई.सी. - विशेन समिति, ईपीआर - विस्तार परियोजना रिपोर्ट, सीएचपी - कोयला रखरखाव संयंत्र, एनआईटी - निविदा आमंत्रित करने संबंधी नोटिस

## सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) में 100 करोड़ रू. तथा उससे अधिक लागत वाली चल रही/नई परियोजनाओं के ब्यौरे

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | आद्रियाल शाफ्ट परियोजना -यूजी एससीसीएल | **2.144** | **212.340** | **29.09.2006 20.12.2013 20.12.2013** | ई,डी,सी बास्केट लिंकेज | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.190** | **11.40** | परियोजना समय के अनुसार है। अपेक्षित 30.28 हैक्टेयर गैर वन भूमि एससीसीएल के कब्जे में है 47.30 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि बोकालबागु के अपवर्तन तथा पंच प्रविन्टि की नयी संकल्पना के साथ ट्रंक रोडवेज के ऊपर फिल्टर बेड, सब-स्टेशन आदि के निर्माण के लिए अधिग्रहीत की जानी है। अधिग्रहण प्रगति पर है। रिटर्न एयर शाफ्ट को डुबाने की प्रगति 68.5 मीटर है। |
| **2** | शांतिखानी लांगवाल परियोजना -यूजी एससीसीएल | **1.167** | **249.03** | **9.10.2006 2011-2012 2011-2012** | ई,डी बास्केट लिंकेज | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.525** | **7.01** | परियोजना समय के अनुसार है। इस परियोजना के लिए अपेक्षित गैर वन भूमि 7.04 हैक्टेयर है। इसमें से 2.16 हैक्टेयर भूमि एससीसीएल के कब्जे में है। 4.88 हैक्टेयर वन भूमि के लिए पहले स्तर का अनुमोदन दे दिया गया है। अंतिम अनुमोदन एमओईएफ के पास लंबित है। इनटेक एयर शाफ्ट प्राइस के लिए निविदा खोली गयी और फर्म के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | जल्लाराम शाफ्ट परियोजना-यूजी एससीसीएल | **2.285** | **467.780** | **14.09.2007**<br>**2012-2013**<br>**2012-2013** | बी, डी, ई बास्केट लिंकेज | **0.00** | **0.00** | | **9.640** | **3.190** | इस परियोजना के लिए अपेक्षित सतही अधिकारों के लिए 35 हेक्टेयर वनभूमि और यूजी अधिकारों के लिए 36.23 हेक्टेयर वनभूमि 412.4 हेक्टेयर का एक भाग है जो कि प्रक्रियाधीन है। आंध्र प्रदेश सरकार ने, अनुपालन रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) को भेज दी है। एमओईएफ द्वारा अंतिम अनुमोदन जारी किया जाना है। |

उपयोग में लाए गए संक्षेपण : यूजी - भूमिगत, एलओआई - आशय पत्र

अनुबंध-**IV** (क) जारी

## नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. में 100 करोड़ रू. तथा उससे अधिक लागत वाली चल रही/नई परियोजनाओं के ब्यौरे

| क्र. सं. | परियोजना के स्थान का नाम | क्षमता | स्वीकृत लागत | स्वीकृति का माह और वर्ष | कोयले का ग्रेड लिंकेज | ब.अ. 07-08 सं.अ. 07-08 | मार्च, 07** तक व्यय | अप्रैल-दिस., 07 तक व्यय | ब.अ. 08-09 (करोड़ रू.) | परियोजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खान II विस्तार | 4.5 एमटीपीए | **2161.28** | **18.10.2004** | लिग्नाइट: टीपीएस II विस्तार | **586.28** **600.00** | **692.58** | **427.27** | **550.00** | एमटीसी निर्माण कार्य सितम्बर, 2007 के दौरान पूर्ण हो गया। अन्य खनन मशीनों के शीघ्र आने की संभावना है। अन्य प्रमुख तथा सहायक उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है। |
| 2 | टीपीएस II विस्तार | 2 x 250 मे.वा. | **2030.78** | **18.10.2004** | विद्युत: खान II विस्तार | **719.41** **700.00** | **420.06** | **425.20** | **700.00** | मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए मैसर्स भेल को एलओए दिनांक 19.8.2005 को जारी किया गया। सभी प्रमुख पैकेजों के लिए कार्य आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं और उनकी |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | आपूर्ति आरंभ कर दी गयी है। |
| 3 | राजस्थान में खान | 2.1 एमटीपीए | **254.07** | **15.12.2004** | लिग्नाइट: राजस्थान में टीपीएस II | **117.87**<br>**65.00** | **76.80** | **51.13** | **50.00** | ओवरबर्डेन रिमूवल का कार्य दिनांक 7.8.06 को आरंभ किया गया, आवासीय भवन का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। लिग्नाइट रखरखाव संयंत्र के लिए एलओए जारी कर दिया गया है। मुख्य खनन उपकरणों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलाप प्रगति पर है। |
| 4 | राजस्थान में टीपीएस | 2 x 125 मे.वा. | **1114.18** | **15.12.2004** | लिग्नाइट: राजस्थान में खान | **<u>427.33</u>**<br>**425.00** | **288.10** | **316.09** | **500.00** | लिग्नाइट रखरखाव प्रणाली के लिए एलओए 17 जून, 2006 को जारी किया गया था। यूनिट-II की ड्रूम लिफ्टिंग सितम्बर, 2007 में पूरी की गयी। सभी प्रमुख पैकेजों के लिए एलओए जारी किया गया और वह प्रगति पर है। |

** आरंभ से

उपयोग में लाए गए संक्षेपण - एमटीपीए - मिलियन टन प्रतिवर्ष, एमडब्ल्यू - मेगावाट, टीपीएस - तापीय विद्युत गृह, एमटीसी-सामग्री अंतरण कन्वेयर, ओबी - ओवरबर्डेन, बीएचईएल - भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.

## अध्याय-5

## वित्तीय समीक्षा

### 5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों(पीएसयू) का पूंजीगत परिव्यय

**(करोड़ रू. में)**

| सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम | वास्तविक 2005-06 | वास्तविक 2006-07 | संशोधित अनुमान 2007-08 | दिसम्बर, 07 तक वास्तविक | बजट अनुमान 2008-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| सीआईएल | 1611.23 | 2059.69 | 2066.97 | 1476.10 | 3214.70 |
| एनएलसी | 379.68 | 1236.08 | 1930.00 | 662.87 | 2717.00 |
| एससीसीएल | 424.18 | 448.63 | 520.00 | 196.61 | 665.30 |

5.2 कोयला मंत्रालय छः योजनागत स्कीमों को प्रचालित करता है अर्थात :

(क) अनुसंधान और विकास
(ख) क्षेत्रीय अन्वे-ाण
(ग) विस्तृत ड्रिलिंग
(घ) पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण
(ङ) कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा
(च) कोलफील्ड्स क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास

उपर्युक्त छः योजनाओं में से प्रथम चार योजनाएं पिछली कई योजना अवधियों से योजनागत शीर्-ा के तहत प्रचालित की जा रही हैं। तथापि, वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, शे-ा दो योजनाओं को व-र्ा 2005-06 से योजनागत शीर्-ा के तहत लाया गया है। इन छः योजनाओं के लिए बजट प्रावधान और व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:

**(i)** अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

(करोड़ रू. में)

| वास्तविक 2005-06 | वास्तविक 2006-07 | संशोधित अनुमान 2007-08 | वास्तविक 2007-08 (दिसम्बर, 07 की स्थिति के अनुसार) कोयला मंत्रालय द्वारा जारी | 2008-09 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|---|
| 14.84 | 6.0 | 12.86 | 11.50 | 10.00 |

**(ii)** प्रोन्नत (क्षेत्रीय) अन्वे-ाण

(करोड़ रू. में)

| वास्तविक 2005-06 | वास्तविक 2006-07 | संशोधित अनुमान 2007-08 | वास्तविक 2007-08 (दिसम्बर, 07 की स्थिति के अनुसार) | बजट अनुमान 2008-09 |
|---|---|---|---|---|
| 48.46 | 40.00 | 64.15 | 34.99 | 30.00 |

**(iii)** गैर-सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग

(करोड़ रू. में)

| वास्तविक 2005-06 | वास्तविक 2006-07 | संशोधित अनुमान 2007-08 | वास्तविक 2007-08 (दिसम्बर, 07 की स्थिति के अनुसार) | बजट अनुमान 2008-09 |
|---|---|---|---|---|
| 22.76 | 20.98 | 43.84 | 40.00 | 60.00 |

**(iv)** पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण

(करोड़ रू. में)

| वास्तविक 2005-06 | वास्तविक 2006-07 | संशोधित अनुमान 2007-08 | वास्तविक 2007-08 (दिसम्बर, 07 की स्थिति के अनुसार) | बजट अनुमान 2008-09 |
|---|---|---|---|---|
| 25.15 | 7.94 | 28.22 | 15.12 | 10.00 |

जनवरी, 2008 में 2.87 करोड़ रू. की राशि रिलीज की गई है।

**(v)** कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा

(करोड़ रू. में)

| वास्तविक 2005-06 | वास्तविक 2006-07 | संशोधित अनुमान 2007-08 | वास्तविक 2007-08 (दिसम्बर, 07 की स्थिति के अनुसार) | बजट अनुमान 2008-09 |
|---|---|---|---|---|
| 66.11 | 180.00 | 165.00 | - | 135.00 |

संशोधित अनुमान 2007-08 में 165.00 करोड़ रू. का आबंटन इस वित्त व-र्ा के दौरान रिलीज किए जाने की संभावना है।

**(vi)** परिवहन अवसंरचना का विकास

**(करोड़ रू. में)**

| वास्तविक 2005-06 | वास्तविक 2006-07 | संशोधित अनुमान 2007-08 | वास्तविक 2007-08 (दिसम्बर, 07 की स्थिति के अनुसार) | बजट अनुमान 2008-09 |
|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 13.81 | 45.00 | - | 21.80 |

संशोधित अनुमान 2007-08 में 45.00 करोड़ रू. का आबंटन इस वित्त वर्-ा के दौरान रिलीज किए जाने की संभावना है।

यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त (i) से (iv) में दी गई योजनाओं के संबंध में वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान प्रावधानों की तुलना में संतो-ाजनक है, उपर्युक्त (v) तथा (vi) में दी गई योजनाओं के संबंध में सितम्बर, 2007 में इन योजनाओं को योजनागत पक्ष की मानने के अंतर-मंत्रालयी बैठक में लिए गए निर्णय के कारण व्यय नहीं किया जा सका। अनुपूरक अनुदान मांगों में निधियां दी गई थी। तथापि, इन दोनों योजनाओं के लिए व्यय मार्च, 2008 से पहले किए जाने की संभावना है क्योंकि इन योजनाओं के लिए निधियां प्रतिपूर्ति के रूप में रिलीज की जाती हैं।

**5.3** पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम का विकास

**(करोड़ रू. में)**

| वास्तविक 2005-06 | वास्तविक 2006-07 | संशोधित अनुमान 2007-08 | वास्तविक 2007-08 (दिसम्बर, 07 की स्थिति के अनुसार) | बजट अनुमान 2008-09 |
|---|---|---|---|---|
| **0.00** | **0.00** | **16.70** | **0.00** | **30.00** |

* चूंकि कोयला मंत्रालय में पूर्वोत्तर क्षेत्र/सिक्किम के विकास के लिए कोई योजना उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस शी-ा के तहत आबंटन को सामान्यतः केन्द्र सरकार के गैर-व्यपगत पूल में अंतरित कर दिया जाता है।

## 5.4 कोयला खान पेंशन योजनाएं और कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना

(करोड़ रू. में)

| वस्तु शी-र्ा | वास्तविक 05-06 | वास्तविक 06-07 | सं. अनुमान 07-08 | वास्तविक दिसम्बर, 07 तक | बजट अनुमान 08-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| सीएमडीएलआई योजना (अंशदान) | 1.37 | 1.50 | 1.50 | 1.0275 | 1.50 |
| सीएमडीएलआई योजना (प्रशासनिक शुल्क) | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.2100 | 0.32 |
| कोयला खान पेंशन योजना (अंशदान) | 19.75 | 20.50 | 21.00 | 15.0000 | 21.50 |
| कोयला खान पेंशन योजना (प्रशा. शुल्क) | 4.77 | 4.49 | 10.52 | 3.3750 | 10.20 |
| कुल | **26.15** | **26.75** | **33.34** | **19.6125** | **33.52** |

## 5.5 सचिवालय

(करोड़ रू. में)

| | वास्तविक 05-06 | वास्तविक 06-07 | सं. अनुमान 07-08 | दिसम्बर, 07 तक वास्तविक | बजट अनुमान 08-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| योजना | 0.98 | 0.1697 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| गैर-योजना | 5.94 | 7.0067 | 8.54 | 4.86 | 8.49 |

**5.6** कोयला नियंत्रक संगठन

(करोड़ रू. में)

| | वास्तविक 05-06 | वास्तविक 06-07 | सं. अनुमान 07-08 | दिसम्बर, 07 तक वास्तविक | बजट अनुमान 08-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| योजना | 0.19 | 0.5578 | 0.23 | 0.15 | 0.20 |
| गैर-योजना | 2.13 | 2.2451 | 3.03 | 2.28 | 3.49 |

**5.7** भुगतान आयुक्त

(करोड़ रू. में)

| | वास्तविक 05-06 | वास्तविक 06-07 | सं. अनुमान 07-08 | दिसम्बर, 07 तक वास्तविक | बजट अनुमान 08-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| गैर-योजना | 0.28 | 0.3331 | 0.0887 | 0.0887 | 0.00 |

यह कार्यालय 6.6.2007 से बंद कर दिया गया है।

# अध्याय-6

## सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य-नि-पादन की समीक्षा

कोयला खान भवि-य निधि संगठन

कोयला मंत्रालय के अधीन केवल एक स्वायत्त निकाय अर्थात कोयला खान भवि-य निधि संगठन है। यह संगठन निम्नलिखित तीन योजनाओं को प्रशासित करता है :

(क) कोयला खान भवि-य निधि योजना, 1948
(ख) कोयला खान पेंशन योजना, 1998
(ग) कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976

उपर्युक्त तीनों योजनाओं की अलग-अलग विशे-ताएं और व्यापक रूपरेखा निम्नवत है :

(क) कोयला खान भवि-य निधि योजना, 1948

6.1 कोयला खान भवि-य निधि योजना, जो कोयला खान भवि-य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाई गई है, भारत में कोयला खानों के सभी कर्मचारियों को भवि-य निधि के लाभ प्रदान करती है । नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इस अधिनियम के अधीन नहीं आता है। कोयला खान भवि-य निधि(सीएमपीएफ) में कर्मचारी अपनी परिलब्धियों के 12% की दर से अंशदान करते हैं तथा नियोजक भी बराबर की राशि का अंशदान करते हैं। पिछले व-र् की भवि-य निधि की शे-ा राशि पर प्रतिव-र् 8 % की दर से ब्याज दिया गया था। इस निधि में एकत्रित संपूर्ण राशि का वित्त मंत्रालय और सी.एम.पी.एफ. के न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश किया जाता है । यह निधि न्यासियों के त्रिपक्षीय बोर्ड, जिसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों और केन्द्र/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, के अधीन होती हैं और यह बोर्ड इसका संचालन करता है।

इस योजना का विस्तृत ब्यौरा नीचे दी गई  तालिका में दर्शाया गया है :-

| विवरण | 2006-2007 वास्तविक | 2007-2008 (अक्तूबर,2007 तक) | 2007-2008 अनुमानित |
|---|---|---|---|
| योजना में शामिल कोयला खानों/संयत्रों की संख्या (व-र् के अंत तक) | 963 | 963 | 963 |
| व-र् के दौरान अद्यतन सदस्यों की संख्या (लाख में) | 5.64 | 5.47 | 5.55 |
| व-र् के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित अंशदान (करोड़ रु. में) | 2113.48 | 1150.00 | 2200.00 |
| निधि के सदस्यों को दी गई ब्याज दर | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| व-र् के दौरान अग्रिम (करोड़ रु. में) | 414.00 | 500.00 | 550.00 |
| व-र् के दौरान भवि-य निधि की वापसी (करोड़ रु. में) | 2183.00 | 1200.00 | 2300.00 |
| (i) निपटाए गए मामलों की संख्या (वापसी) | 26504 | 14482 | 19500 |
| (ii) प्राप्त मामलों की संख्या (वापसी) | 27140 | 14050 | 20000 |
| अधिकारियों की संख्या | 48 | 45 | 45 |
| कर्मचारियों की संख्या | 1042 | 1010 | 970 |

(ख) कोयला खान पेंशन योजना, 1998

6.2 कोयला खान भवि-य निधि संगठन के इतिहास में कोयला खान पेंशन योजना, 1998 को लागू करना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा कोयला खान भवि-य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की

धारा 3ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 5 मार्च, 1998 को अधिसूचित किया गया है।

6.3 कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से प्रवृत्त हुई है और उक्त तारीख को सदस्यों की संख्या 7,82,578 थी, जो देश की विभिन्न कोयला खानों में कार्यरत थे। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं **:-**

**(i)** निधि का संग्रह और उसे कायम रखना :-

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) नियत दिन को कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की निवल परिसंपत्ति ;

(ख) कर्मचारी के वेतन के दो तथा एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि, जो निधि में कर्मचारी और नियोजक के अंशदान बराबर - बराबर शेयर का अपना-अपना कुल अंशदान हैं, कर्मचारी की निधि से नियत दिन से अंतरित किया जाना है ;

(ग) 1 अप्रैल, 1989 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख , इनमें से जो भी बाद में हो, से 31.3.1996 तक कर्मचारी के वेतन के 2% के बराबर राशि और 1 अप्रैल, 1996 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से कर्मचारी के काल्पनिक वेतन की 2% राशि उसके वेतन से अंतरित की जायेगी ;

(घ) कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिकलित एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि, कर्मचारी के वेतन से 1.7.1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से , इसमें से जो भी बाद में हो, से अंतरित की जानी है ;

(ड. ) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो-तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केन्द्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना है ;

(च) इस योजना के नये इच्छुक सदस्यों द्वारा योजना के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार राशि जमा की जाएगी ।

न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त एक बीमांकक द्वारा प्रत्येक तीसरे व-र्ा पेंशन निधि का मूल्यांकन करवाने की जिम्मेदारी आयुक्त की है ।

## (ii) इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) वे सभी कर्मचारी, जो समाप्त की गई कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31.3.1998 को कर्मचारियों की नामावली में थे ।

(ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31.3.1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए ।

(ग) इस योजना के सभी नए इच्छुक सदस्य जिन्होंने पीएस-1 और पीएस-2 प्रपत्र जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन निधि की सदस्यता को चुना है।

1.4.94 से 31.3.98 की अवधि में सेवाकाल के दौरान मृत सभी कर्मचारियों को दिनांक 12.8.2004 के जीएसआर सं. 521(ई) के अनुसार योजना के मानित इच्छुक सदस्यों के रूप में माना जाएगा।

## (iii) लाभ :-

(क) मासिक पेंशन
(ख) विकलांगता पेंशन
(ग) विधवा अथवा विधुर पेंशन
(घ) बाल पेंशन

(ड.) अनाथ पेंशन
(च) अनुग्रह अदायगी

6.4 केन्द्र सरकार ने 2006-2007 के दौरान पेंशन योजना में 20.50 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। 2007-2008 में रू. 21.00 करोड़ रू.(आरई) और 2008-2009 (बीई) में 21.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक व्यय के रूप में 2007-2008 (आर ई) में रू. 10.52 करोड़ रुपए का अंशदान और 2008-2009 (बीई) में 10.20 करोड़ रुपए का अंशदान किए जाने की संभावना है।

6.5 निम्नलिखित सारणी योजना के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती है :-

| क्र.सं. विवरण | 2006-2007 वास्तविक | 2007-2008 अनंतिम (अक्तू., 2007 तक) | 2008-2009 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
| (i) कोयला खान पेंशन योजना की सदस्यता (लाख में) | 5.64 | 5.47 | 5.63 |
| (ii) वर्ष के दौरान पेंशन योजना में नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकार द्वारा किया गया अंशदान एवं ब्याज (करोड़ रुपए में) | 733.68 | 443.00 | 780.00 |
| (iii) लाभों का संवितरण (समाप्त परिवार पेंशन योजना और पेंशन योजना) (करोड़ रु. में ) | | 875.50 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (iv) (क) परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभ (अब समाप्त) के निपटाए गए मामलों की संख्या<br><br>(ख) निपटाए गए पेंशन के मामले | 49 | 2<br><br>18182 | 48 |
| (v) (क) प्राप्त हुए परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभ के मामलों की संख्या<br><br>(ख) प्राप्त हुए पेंशन मामलों की संख्या | 30 | 40 | 45 |
| (vi) निपटाए गए अन्य लाभों के मामलों की संख्या | 5 | 0 | 2 |
| (vii) प्राप्त हुए अन्य लाभों के मामलों की संख्या | 5 | 0 | 2 |

(ग) कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976

6.6 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना 1 अगस्त, 1976 से लागू की गई थी। इस योजना में यह व्यवस्था है कि यदि योजना के किसी सदस्य की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को उसके भवि-य निधि खाते में पिछले तीन व-र्षों में जमा शे-ा राशि के औसत के बराबर राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000/- रुपए होगी, दी जाएगी।

6.7 इस योजना के अनुसार, नियोजकों द्वारा कुल वेतन के 0.5% की दर से इस योजना में अंशदान किया जाना अपेक्षित है। केन्द्र सरकार के लिए भी नियोक्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के 50% के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित है।

6.8 केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 2006-2007 में 1.50 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान किया है । इस योजना के लिए 2007-2008 के संशोधित अनुमान में 1.50 करोड़ रू. तथा 2008-2009 (बीई) में 1.50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में 2007-08 (आरई) में 0.32 करोड़ रूपए तथा 2008-09 (बीई) में 0.32 करोड़ रू. का अंशदान किए जाने की संभावना है ।

6.9 नीचे दी गई तालिका इस योजना के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती है ।

कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना

(करोड़ रुपए में)

| क्र. सं. | विवरण | 2006-2007 वास्तविक | 2007-2008 अनंतिम (अक्तू, 2007 तक) | 2008-2009 (अनुमानित) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अंशदान की कुल राशि (नियोक्ता और सरकारी अंशदान) | 1.50 | 0.75 | 1.50 |
| 2. | केन्द्रीय प्रशासनिक खाते में प्राप्त कुल राशि | 0.26 | 0.10 | 0.32 |
| 3. | जमा सम्बद्ध बीमा निधि में से किया गया निवेश और सावर्जनिक लेखा में जमा राशि | 4.68 | 2.42 | 4.70 |
| 4. | बीमा निधि में से किया गया निवेश (केन्द्रीय प्रशासनिक लेखा) | 2.39 | 1.50 | 2.50 |
| 5. | बीमा निधि (केन्द्रीय प्रशासनिक लेखा) में से किया गया कुल निवेश | 36.78 | 37.10 | 39.28 |

6.10 जमा सम्बद्ध बीमा योजना की प्रशासन संबंधी लागत नियोजकों द्वारा वहन की जाती है, जो इसके लिए कुल वेतन का 0.1% का अंशदान करते हैं। सरकार द्वारा भी इस प्रयोजन के लिए नियोक्ता के अंशदान के 50 प्रतिशत अर्थात् कुल वेतन के 0.5 % का अंशदान करना अपेक्षित है। इस योजना के लिए स्वतंत्र रूप में कोई स्टाफ नियोजित नहीं किया जाता है। साझी मदों पर आनुपातिक व्यय की हिस्सेदारी इस योजना में डाली जाती है।

-------